

5. बाह्य क्षेत्र सांख्यिकी

इस अध्याय में भुगतान संतुलन, बाह्य कर्ज, विदेशी निवेश अंतर्वाह, एनआरआई जमाराशियाँ, अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ, आदि के संबंध में भारत की बाह्य क्षेत्र सांख्यिकी से संबंधित अवधारणाएँ और परिभाषाएँ शामिल की गयी हैं। इनमें से प्रत्येक घटक के संबंध में आँकड़े अंतरराष्ट्रीय उत्तम व्यवहारों का अनुसरण करते हुए संकलित किये जाते हैं। प्रत्येक घटक के विस्तृत पहलुओं की रूपरेखा नीचे बतायी गयी है।

5.1. भुगतान संतुलन

भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) में, लेनदेनों को आईएमएफ के भुगतान संतुलन मैनुअल (1993) के पंचम संस्करण में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार छोटे-मोटे आशोधनों के साथ रिकार्ड किया जाता है, ताकि उसे भारतीय स्थिति के ब्यौरों के साथ अनुकूलित किया जा सके। मैनुअल में भुगतान संतुलन की परिभाषा ऐसे सांख्यिकी विवरण के रूप में दी गयी है, जो किसी विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए क्रमबद्ध रूप से किसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ आर्थिक लेनदेन का सारांश प्रस्तुत करता है। निवासियों और अनिवासियों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और आमदनी संबंधी लेनदेन; शेष विश्व पर वित्तीय दावे और शेष विश्व के प्रति देयताएँ; और वे शामिल होते हैं, जिन्हें अंतरणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें एकतरफा लेनदेनों को संतुलित करने के लिए प्रविष्टियों का प्रतितुलन किया जाता है। ये आँकड़े बैंकिंग प्रणाली से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के भाग के रूप में प्राप्त होते हैं। ये आँकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुख्यतः बैंकिंग प्रणाली (प्राधिकृत व्यापारियों) से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के भाग के रूप में प्राप्त होते हैं।

भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) की मूलभूत संरचना निम्नलिखित से बनती है :

- (i) चालू खाता : वस्तुओं, सेवाओं का निर्यात और आयात, आमदनी (निवेश आमदनी और

- कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, दोनों) और चालू अंतरण;
- (ii) पूँजीगत खाता : आस्तियाँ और देयताएँ, जिनमें प्रत्यक्ष निवेश, संविभाग निवेश, ऋण, बैंकिंग पूँजी और अन्य पूँजी शामिल हैं;
- (iii) सांख्यिकीय विसंगतियाँ;
- (iv) अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियाँ और आईएमएफ लेनदेन ।

5.1.1. चालू खाता

5.1.1.1. वणिक् व्यापार

व्यापारिक जमा का संबंध वस्तुओं के निर्यात से होता है, जबकि व्यापारिक नामे वस्तुओं के आयात का द्योतक होता है । ये मुख्यतः प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित होते हैं, जिसमें अन्य स्रोतों, यथा डीजीसीआइएंडएस, यूएसएआइडी, भारत सरकार से प्राप्त जानकारी जोड़ी जाती है । 'गैर मौद्रिक स्वर्ण आवाजाही' मद को बीओपी पर आईएमएफ मैनुअल (4 था संस्करण) के अनुरूप मई 1993 और उसके बाद से अदृश्य मदों में शामिल नहीं किया गया है; ये प्रविष्टियाँ व्यापारिक माल में शामिल की गयी हैं । विदेश से लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये सोने और चांदी संबंधी आंकड़ों को 1992-93 से निजी अंतरण प्राप्तियों के अंतर्गत प्रति प्रविष्टि के साथ आयात भुगतानों के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

5.1.1.2. सेवाएँ

सेवाओं के संबंध में प्राप्तियों और भुगतानों का संकलन एडी से प्राप्त जानकारी, जिसमें अन्य स्रोतों, यथा एयर इंडिया, दूतावासों, नैसकॉम, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों, भारत सरकार, से प्राप्त जानकारी जोड़ी जाती है, के आधार पर किया जाता है ।

5.1.1.2.1. यात्रा

'यात्रा' द्योतक होता है प्राप्तियाँ पक्ष में विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किये गये सभी व्ययों और भुगतान पक्ष में

भारतीय पर्यटकों द्वारा विदेश में किये गये सभी व्ययों का । यात्रा प्राप्तियाँ मुख्यतः किसी दिये हुए समय में विदेशी पर्यटकों के भारत आने पर निर्भर करती हैं ।

5.1.1.2.2. परिवहन

'परिवहन' में वस्तुओं और नैसर्गिक व्यक्तियों के सामानों की दुलाई के कारण और वणिक् व्यापार से जुड़ी अन्य वितरक सेवाओं (यथा, पत्तन प्रभार, बंकर ईंधन, स्टीवडोरिंग, कैबोटाज, वेयरहाउसिंग, आदि) के कारण प्राप्तियों और भुगतानों को रिकार्ड किया जाता है ।

5.1.1.2.3. बीमा

'बीमा प्राप्तियों' में शामिल होते हैं निर्यातों का बीमा, जीवन और गैर जीवन पालिसियों पर प्रीमियम तथा विदेशी बीमा कंपनियों से पुनर्बीमा प्रीमियम । निर्यातों पर बीमा भारत से किये गये कुल निर्यातों से सीधे संबंधित होता है ।

5.1.1.2.4. सरकार, जिसे अन्यत्र शामिल नहीं किया गया (जीएनआईई)

'सरकार, जिसे अन्यत्र शामिल नहीं किया गया' के अंतर्गत प्राप्तियाँ द्योतक होती हैं विदेशी दूतावासों, राजनयिक मिशनों और भारत में अंतरराष्ट्रीय/क्षेत्रीय संस्थाओं के कार्यालयों के रखरखाव के लिए आवक विप्रेषणों का, जबकि जीएनआईई भुगतानों में विदेश में भारतीय दूतावासों और राजनयिक मिशनों के रखरखाव के चलते किये गये विप्रेषणों और विदेशी दूतावासों द्वारा अपनी ओर से किये गये विप्रेषणों को रिकार्ड किया जाता है ।

5.1.1.2.5. विविध

'विविध सेवाओं' में समाविष्ट होता है कारोबारी सेवाओं का समूह, यथा, संचार, निर्माण, वित्तीय, सॉफ्टवेयर और न्यूज एजेंसी सेवाएँ, रॉयल्टी, कॉपीराइट

और लाइसेंस फीस, प्रबंधन सेवाएँ और अन्य । हाल में, सॉफ्टवेयर सेवाओं के संबंध में आँकड़े - प्राप्तियों और भुगतानों के लिए अलग से प्रस्तुत किये जाने लगे हैं ।

5.1.1.3. अंतरण (सरकारी, निजी)

अंतरण द्योतक होते हैं एकतरफा लेनदेनों के, अर्थात्, ऐसे अंतरण, जिनका कोई प्रतिकर नहीं होता, यथा, अनुदान, उपहार और प्रवासियों के अंतरण, जो परिवार के भरण पोषण के लिए विप्रेषणों के जरिए किये जाते हैं, बचत के प्रत्यावर्तन और प्रवासियों की निवासी हैसियत में परिवर्तन से जुड़े वित्तीय एवं वास्तविक संसाधनों के अंतरण । सरकारी अंतरण प्राप्तियों में शामिल होते हैं अनुदान, दान और अन्य साहाय्य, जो सरकार को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थाओं से प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार के अंतरण, जो भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को किये जाते हैं, सरकारी अंतरण भुगतानों के अंतर्गत रिकार्ड किये जाते हैं ।

5.1.1.4. आमदनी

पूँजीगत लेनदेनों का शोधन करने के लिए किये गये लेनदेन ब्याज, लाभांश, लाभ और अन्य के रूप में होते हैं । निवेश आय प्राप्तियों में समाविष्ट होते हैं अनिवासियों को दिये गये ऋणों पर प्राप्त ब्याज, भारतीयों द्वारा विदेश में किये गये निवेश पर प्राप्त लाभांश/लाभ, विदेश में भारतीय एफडीआई कंपनियों की पुनर्निवेशित आय, डिबेंचरों पर प्राप्त ब्याज, फ्लोटिंग रेट नोट्स (एफआरएन), वाणिज्यिक पत्र (सीपी), सावधि जमा और एडी द्वारा विदेशी मुद्रा ऋण/निर्यात प्राप्तियों में से विदेश में धारित निधियाँ, अनिवासियों द्वारा करों का भुगतान/विदेशी सरकारों द्वारा करों की वापसी, आरबीआई निवेश पर ब्याज/बट्टा से प्राप्त आमदनी, आदि । निवेश आय भुगतानों में समाविष्ट होते हैं अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान, अनिवासियों से प्राप्त ऋणों पर ब्याज का भुगतान, अनिवासी शेयरधारकों को लाभांश/लाभ का

भुगतान, एफडीआई कंपनियों की पुनर्निवेशित आय, डिबेंचरों, एफआरएन, सीपी, सावधि जमा, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान, विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर) पर प्रभार, आदि ।

आईएमएफ के भुगतान संतुलन मैनुअल (पाँचवाँ संस्करण) के अनुसार 'कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति' को 1997-98 से 'आय' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जा रहा है; इसके पहले 'कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति' को 'सेवाएँ - विविध' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता था ।

5.1.2. पूँजीगत लेखा

पूँजीगत लेखा के संबंध में आँकड़े पूँजीगत लेनदेनों में लगी संस्थाओं द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास या भारत सरकार के पास फाइल की गयी विविध विवरणियों के आधार पर संकलित किये जाते हैं । इनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश/एडीआर/जीडीआर, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), व्यापार ऋण, एनआरआई जमाराशि और अन्य बैंकिंग देयताओं/आस्तियों के संबंध में रिपोर्टिंग शामिल होती है । बाह्य साहाय्य से संबंधित आँकड़े भारत सरकार से प्राप्त किये जाते हैं ।

5.1.2.1. विदेशी निवेश

विदेशी निवेश के दो घटक होते हैं, यथा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और संविभाग निवेश । 1999-2000 तक भारत को और भारत द्वारा किये गये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में मुख्यतः इक्विटी पूँजी समाविष्ट है । अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहार के अनुरूप एफडीआई की व्याप्ति 2000-01 से बढ़ा दी गयी है, जिससे कि इसमें इक्विटी पूँजी के अतिरिक्त पुनर्निवेशित आमदनी (एफडीआई कंपनियों की प्रतिधारित आमदनी) और 'अन्य प्रत्यक्ष पूँजी' (संबंधित संस्थाओं के बीच अंतर-कंपनी लेनदेन) को शामिल किया जा सके । इक्विटी पूँजी से संबंधित आँकड़ों में निगमित निकायों की इक्विटी के अतिरिक्त अनिगमित संस्थाओं (मुख्यतः भारत

में विदेशी बैंक शाखाओं और विदेशों में परिचालनरत भारतीय बैंक शाखाओं) की इक्विटी शामिल होती है। नवीनतम वर्ष (2002-03) के लिए पुनर्निवेश अर्जन के संबंध में आँकड़ों का अनुमान पिछले दो वर्षों के औसत के रूप में लगाया जाता है, क्योंकि ये आँकड़े एक वर्ष के समय-अंतराल पर उपलब्ध होते हैं। उपर्युक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए एफडीआई आँकड़े पिछले वर्ष के तत्समान आँकड़ों से तुलनीय नहीं होते हैं। बीओपी संकलन की मानक प्रथा के अनुसार, एफडीआई आँकड़ों में उपर्युक्त संशोधन का प्रभाव भारत की समग्र भुगतान संतुलन स्थिति पर नहीं होगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में अनुवृद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तथापि, बीओपी के संघटन में परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन निवेश आय, बाह्य वाणिज्यिक उधार और भूल-चूक से संबंधित हैं। पुनर्निवेशित अर्जन के मामले में चालू खाता में निवेश आय के अंतर्गत समान परिमाण की प्रति प्रविष्टि (नामे) होगी। 'अन्य पूँजी', जो एफडीआई अंतर्वाह के रूप में रिपोर्ट की गयी है, उतनी ही राशि के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार के अंतर्गत रिपोर्ट किये गये आँकड़ों से निकाली गयी है। भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में 'अन्य पूँजी' और अनिगमित कंपनियों की इक्विटी पूँजी को वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए भूल-चूक के विरुद्ध समायोजित किया गया है।

5.1.2.2. संविभाग निवेश

संविभाग निवेश में मुख्यतः एफआईआई के निवेश, भारतीय कंपनियों द्वारा जीडीआर/एडीआर के माध्यम से जुटायी गयी निधियाँ और अपतटीय निधियों के माध्यम से जुटायी गयी निधियाँ शामिल होती हैं। विदेश में निवेश के संबंध में आँकड़े, जो अब तक रिपोर्ट किये जाते थे, को 2000-01 से इक्विटी पूँजी और संविभाग निवेश में विभक्त कर दिया गया है।

5.1.2.3. बाह्य साहाय्य

भारत द्वारा बाह्य साहाय्य का अर्थ होता है भारत द्वारा विदेशी सरकारों को विविध करारों के अंतर्गत दिया

गया अनुदान और ऐसे ऋणों की अदायगी। भारत को बाह्य साहाय्य का अर्थ होता है भारत सरकार और अन्य सरकारों/अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बीच हुए करार के अंतर्गत प्राप्त बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण और भारत द्वारा ऐसे ऋणों की अदायगी, सिवाय पहले के 'रुपया क्षेत्र' वाले देशों को ऋण चुकौती के, जिसे रूपी डेट सर्विस के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

5.1.2.4. वाणिज्यिक उधार

वाणिज्यिक उधार में सभी प्रकार के मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण शामिल होते हैं। भारत द्वारा वाणिज्यिक उधार का अर्थ होता है भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक) द्वारा विभिन्न देशों को दिये गये ऋण और ऐसे ऋणों की चुकौती। भारत को वाणिज्यिक उधार का अर्थ होता है ऋणों का आहरण/चुकौती, जिसमें क्रेता ऋण, आपूर्तिकर्ता ऋण, फ्लोटिंग रेट नोट्स (एफआरएन), वाणिज्यिक पत्र (सीपी), बांड, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), जो भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में जारी किया जाये, आदि शामिल होते हैं। इसमें भारत विकास बांड (आईडीबी), रिसर्जेंट इंडिया बांड (आरआईबी), इंडिया मिलेनियम डिपोजिट्स (आईएमडी), आदि भी शामिल होते हैं।

5.1.2.5. भारत को अत्यावधि ऋण

इसे ऋण के संबंध में आहरणों, उपयोग और चुकौतियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक वर्ष से कम परिपक्वता वाले होते हैं।

5.1.2.6. बैंकिंग पूँजी

इसमें तीन घटक समाविष्ट होते हैं : क) वाणिज्यिक बैंकों (एडी) की विदेशी आस्तियाँ, ख) वाणिज्यिक बैंकों (एडी) की विदेशी देयताएँ, और ग) अन्य। वाणिज्यिक बैंकों की 'विदेशी आस्तियाँ' (i) विदेशी मुद्रा धारणों, और (ii) अनिवासी बैंकों को रूपया ओवरड्राफ्टों से बनती है। वाणिज्यिक बैंकों की 'विदेशी देयताएँ' (i)

अनिवासी जमाराशियों, जिसमें समाविष्ट होते हैं विविध अनिवासी जमा योजनाओं की प्राप्ति और प्रतिदान, और (ii) अनिवासी जमाराशियों से भिन्न देयताएँ, जिनमें अनिवासी बैंकों और सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रति रुपया एवं विदेशी मुद्रा देयताएँ समाविष्ट होती हैं, से बनती हैं। बैंकिंग पूँजी के अंतर्गत 'अन्य' में शामिल होती हैं विदेशी केंद्रीय बैंकों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, यथा, आइबीआरडी, आइडीए, एडीबी, आईएफसी, आईएफएडी, आदि के जमाशेषों में, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास होती हैं, उतार-चढ़ाव और विदेश में लंदन तथा टोक्यो में भारतीय दूतावासों द्वारा धारित जमाशेष में उतार-चढ़ाव।

5.1.2.7. रुपया कर्ज शोधन

रुपया कर्ज शोधन में शामिल होते हैं रुपया भुगतान क्षेत्र (आरपीए) के संबंध में सिविलियन और गैर सिविलियन कर्ज के मूलधन की चुकौती और उसके ब्याज का भुगतान।

5.1.2.8. अन्य पूँजी

अन्य पूँजी में मुख्यतः समाविष्ट होती है निर्यात प्राप्तियों में अग्रता और पश्चता। इसके अतिरिक्त इसमें शामिल अन्य मदें होती हैं विदेश में धारित निधियाँ, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भारत का अभिदान, आईएमएफ को कोटा भुगतान, शाखाओं/सहयोगियों को हानि की पूर्ति के लिए विप्रेषण और अन्य पूँजीगत लेनदेन की अवशिष्ट मद, जिसे अन्यत्र शामिल नहीं किया गया।

5.1.3. आरक्षित निधियों में उतार चढ़ाव

आरक्षित निधियों में उतार चढ़ाव में समाविष्ट होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा आस्तियों में और भारत सरकार द्वारा धारित एसडीआर जमाशेषों में परिवर्तन। इन्हें मूल्यन के चलते हुए परिवर्तनों को छोड़ देने के बाद रिकार्ड किया जाता है।

मूल्यन में परिवर्तन इसलिए होते हैं, क्योंकि विदेशी मुद्रा आस्तियों को अमरीकी डालर में अभिव्यक्त किया जाता है और उनमें गैर अमरीकी मुद्राओं (यथा, यूरो, स्टर्लिंग, येन) में, जो आरक्षित निधियों में धारित होती हैं, मूल्यवृद्धि/मूल्यहास के प्रभाव शामिल होते हैं।

आईएमएफ के भुगतान संतुलन मैनुअल (5वाँ संस्करण) के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खरीदे गये स्वर्ण को बीओपी सांख्यिकी में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए पूर्व के वर्षों के आँकड़ों को 'अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ' और 'विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ' में उपयुक्त समायोजन करते हुए संशोधित कर दिया गया है। इसी प्रकार सारणी में से 'एसडीआर आबंटन' मद को हटा दिया गया है।

5.1.4. विनिमय दरें

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को जून 1972 तक सममूल्य पर/मध्यवर्ती दरों पर और उसके बाद स्टर्लिंग के लिए बैंक की हाजिर खरीद और बिक्री के औसत के आधार पर और गैर स्टर्लिंग मुद्राओं की लंदन बाजार पर आधारित प्रति दरों के मासिक औसत के आधार पर रुपयों में परिवर्तित किया गया है। मार्च 1993 से ऐसा परिवर्तन विदेशी मुद्रा बाजार में अमरीकी डालर की हाजिर खरीद एवं बिक्री दरों के औसत को पार करते हुए और लंदन बाजार पर आधारित गैर डालर मुद्राओं की मासिक औसत प्रति दरों के आधार पर किया जाता है।

5.1.5. आँकड़ों के स्रोत

भुगतान संतुलन के संबंध में आँकड़े मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय लेनदेन रिपोर्टिंग प्रणाली (आईटीआरएस) के आधार पर, जो विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले एडी/बैंकों द्वारा फाइल की गयी पाक्षिक आर विवरणियों के रूप में होते हैं, संकलित किये जाते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के

अनुसार सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किये जाने चाहिए और जो बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन करते हैं, उन्हें फेमा के अंतर्गत निर्धारित विविध आवधिक विवरणियाँ और समर्थक दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना चाहिए।

उपर्युक्त जानकारी में वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), विविध दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों, जिनमें विदेश में भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास शामिल हैं, विविध मंत्रालयों/सरकारी एजेंसियों/विभागीय उपक्रमों, यूएसएआइडी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज (नैसकॉम), एयर इंडिया, वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों (आईटीआरएस के अंतर्गत रिपोर्टिंग से अलग), कंपनी क्षेत्र और भारतीय रिज़र्व बैंक के अपने रिकार्डों से उपलब्ध जानकारी जोड़ी जाती है।

5.1.6. आँकड़ा प्रसार

इस समय बीओपी सांख्यिकी दो फार्मेटों में प्रकाशित की जाती है, यथा, स्थूल शीर्षकों में मानक प्रस्तुतीकरण और स्थूल शीर्षकों के अलग-अलग विवरण के साथ विस्तृत प्रस्तुतीकरण। स्थूल शीर्षकों के साथ मानक प्रस्तुतीकरण को आईएमएफ के भुगतान संतुलन मैनुअल, 5वाँ संस्करण (बीपीएम5) में वर्णित पद्धति के अनुसार संकलित किया जाता है और प्रत्येक तिमाही में आईएमएफ के विशेष आँकड़ा प्रसार मानकों (एसडीडीएस) की अपेक्षाओं के अनुसार तीन महीने के समयांतर के साथ प्रकाशित किया जाता है। अदृश्य मदों के संबंध में असमुच्चयित आँकड़ों को अंतिम रूप दिया जाता है और एक बार घटकों के बारे में पक्के आँकड़े उपलब्ध होने पर उन्हें प्रकाशित किया जाता है। अदृश्य मदों को मोटे तौर पर तीन शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा, सेवाएँ, अंतरण और आमदनी। जबकि सेवाओं में यात्रा, परिवहन, बीमा, सरकार, अन्यत्र शामिल नहीं (जीएनआईई) और विविध (अर्थात् अन्य सेवाएँ) समाविष्ट होती हैं, अंतरणों में

निजी अंतरण और सरकारी अंतरण शामिल होते हैं तथा आमदनी में निवेश आमदनी और कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति शामिल होती है।

5.1.7. भारत के भुगतान संतुलन सांख्यिकी के लिए संशोधन नीति

भारत की भुगतान संतुलन सांख्यिकी 'प्रारंभिक', 'अंशतः संशोधित' और 'संशोधित' आँकड़ों के रूप में प्रकाशित की जाती है। प्रारंभिक आँकड़े तिमाही आधार पर होते हैं और संदर्भ तिथि से तीन महीनों के समयांतर पर जारी किये जाते हैं (अर्थात् मार्च 2004 में समाप्त तिमाही के लिए आँकड़े जून 2004 के अंत में उपलब्ध होते हैं)। प्रारंभिक आँकड़ों में वर्ष के दौरान कुछ संशोधन किये जाते हैं और अंशतः संशोधित आँकड़ों को संदर्भ तिथि से छह महीने, नौ महीने और बारह महीने के समयांतर पर संबंधित तिमाही(यों) के लिए प्रारंभिक आँकड़ों के साथ जारी किया जाता है। वार्षिक आँकड़ों में आंशिक संशोधन संदर्भ तिथि से अट्ठारह महीने के समयांतर पर किये जाते हैं। उसके बाद आँकड़ों को 'निश्चल' कर दिया जाता है और अंतिम संशोधनों को संशोधित आँकड़ों में समाविष्ट किया जाता है, जिन्हें संदर्भ तिथि से चौबीस महीने के समयांतर पर जारी किया जाता है। इस चक्र के भीतर असाधारण संशोधन किये जा सकते हैं, यदि आँकड़ा संग्रहण और संकलन क्रियाविधि में पद्धतिमूलक परिवर्तन किये जायें और/या आँकड़ों के स्रोतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन इंगित किये जायें, जिनके चलते आँकड़ा श्रृंखला में संरचनात्मक बदलाव आता है। इन असाधारण संशोधनों का प्रलेखन आँकड़ों को जारी करते समय किया जाता है। प्रारंभिक, अंशतः संशोधित और संशोधित आँकड़ों को पाठ और सारणियों में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया जाता है।

5.2. बाह्य कर्ज

भारत द्वारा अंगीकृत सकल बाह्य ऋण की परिभाषा इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन एक्सटर्नल डेट स्टैटिस्टिक्स (आइडब्लूजीईडीएस), जो अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ),

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से गठित किया गया था, द्वारा 1988 में दी गयी परिभाषा पर आधारित है। आइडब्लूजीईडीएस द्वारा दी गयी बाह्य कर्ज की मूल परिभाषा है “सकल बाह्य कर्ज किसी दिये हुए समय में किसी देश के निवासियों की अनिवासियों के प्रति ब्याज सहित या व्याजरहित मूलधन चुकाने या मूलधन सहित या मूलधन रहित ब्याज चुकाने की संवितरित एवं बकाया संविदागत देयता की राशि होती है।”

आँकड़ों की व्याप्ति मोटे तौर पर आईएमएफ के ‘एक्सटर्नल डेट स्टैटिस्टिक्स - गाइड फॉर कंपाइलर्स एंड यूजर्स’, 1993 में की गयी सिफारिशों से संगति रखती है। बाह्य कर्ज वर्गीकरण देनदार/लेनदार के प्रकार के बीच, परिपक्वता के अनुसार अर्थात् दीर्घावधि और अल्पावधि के अनुसार, लेनदेन के प्रकार के अनुसार, अर्थात् जमा या व्यापार से संबंधित और रियायतों के तत्व के अनुसार भेद करता है।

5.2.1. आँकड़ों का क्षेत्र विस्तार

देश का सकल बाह्य कर्ज आठ कोटियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है : (i) बहुपक्षीय, (ii) द्विपक्षीय, (iii) आईएमएफ, (iv) व्यापार ऋण, (v) वाणिज्यिक उधार, (vi) एनआरआई जमाराशियाँ, (vii) रुपया कर्ज और (viii) एक वर्ष तक की परिपक्वता वाले अल्पावधि कर्ज। अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आइआइपी) के देयता पक्ष के विपरीत, बाह्य कर्ज आँकड़ों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (सिवाय भारत में एफडीआई उद्यमों द्वारा विदेश स्थित अपनी मूल कंपनी से प्राप्त ऋणों के) और विदेशी संविभाग निवेश के इक्विटी घटक से उत्पन्न किसी वित्तीय देयता को शामिल नहीं किया जाता।

5.2.2. लेखांकन परंपरा

बाह्य कर्ज आँकड़ों का संकलन और प्रसार मूल परिपक्वता के आधार पर किया जाता है। बाह्य कर्ज आँकड़ों का संकलन और प्रस्तुतीकरण अमरीकी डालर

में और रुपयों में, दोनों ही तरह से किया जाता है। बाह्य कर्ज संबंधी आँकड़ों को पहले भारतीय रुपये के अनुसार तैयार किया जाता है और तब संदर्भ तिथि को हजिर विनिमय दर पर अमरीकी डालर में परिवर्तित कर दिया जाता है।

5.2.3. मूलभूत आँकड़ा स्रोतों का स्वरूप

इस समय बाह्य कर्ज के विविध घटकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध स्रोतों का उपयोग किया जाता है। सहायता नियंत्रक कार्यालय, लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग, वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार (जीओआइ) (i) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय कर्ज, जिसमें गैर सरकारी कंपनियों को बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गैर रियायती कर्ज को शामिल नहीं किया जाता, जिसके लिए ईसीबी मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है; (ii) व्यापार ऋण के द्विपक्षीय घटक के संबंध में जानकारी संगृहीत करता है।

बाह्य कर्ज प्रबंधन इकाई (ईडीएमयू), आर्थिक कार्य विभाग, एमओएफ, जीओआइ, प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए रुपया कर्ज और निर्यात ऋण घटक के संबंध में आँकड़े संगृहीत करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ऋण लिखतों में एफआइआइ निवेश के संबंध में आँकड़ों का स्रोत होता है। कर्ज के अन्य सभी घटकों, यथा, वाणिज्यिक उधार, एनआरआई जमाराशियाँ और व्यापार ऋण (दीर्घावधि और अल्पावधि, दोनों) के संबंध में जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संगृहीत की जाती है।

5.2.4. संकलन की प्रथाएँ

भारत के बाह्य कर्ज आँकड़ों को दो स्थूल शीर्षकों, यथा, दीर्घावधि और अल्पावधि, के अंतर्गत प्रसारित किया जाता है। दीर्घावधि कर्ज को बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, आईएमएफ, निर्यात ऋण, वाणिज्यिक उधार, रुपया कर्ज और एनआरआई जमाराशियाँ, में वर्गीकृत किया जाता

है। अल्पावधि कर्ज में एनआरआई जमाराशियाँ और व्यापार से संबंधित ऋण समाविष्ट होते हैं। दीर्घावधि और अल्पावधि कर्ज का पुनः असमुच्चयन किया जाना लेनदार स्रोत और उधारकर्ता की स्थिति पर आधारित होता है।

- भारत द्वारा बाह्य सहायता कार्यक्रम या ऑफिशियल डेवलपमेंट एसिस्टेंस (ओडीए) के अंतर्गत जुटाये गये ऋण अपने अधिकांश भाग के लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल किये जाते हैं। बहुपक्षीय के अंतर्गत निम्नलिखित लेनदार स्रोतों की पहचान की गयी है : आईडीए, आईबीआरडी, एडीबी, ईईसी (एसएसी), ओपेक, आइएसओ, एनआइबी, आईएफसी (डब्लू)। उपर्युक्त सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुटाये गये ऋण, सिवाय आईएफसी (डब्लू) से लिये गये ऋण के, बहुपक्षीय के अंतर्गत शामिल किये जाते हैं। बाद वाले को वाणिज्यिक उधार के भाग के रूप में माना जाता है। बहुपक्षीय समूह में समाविष्ट होते हैं उक्त अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से सरकार को ओडीए के अंतर्गत दिये गये ऋण और गैर सरकारी कंपनियों को दिये गये ऋण, जिनमें बाजार निर्धारित ब्याज दरों पर वाणिज्यिक उधार शामिल होते हैं।
- द्विपक्षीय समूह द्योतक होता है द्विपक्षीय स्रोतों से प्राप्त किये गये ऋणों का। भारत सरकार के कतिपय द्विपक्षीय ऋणों में एक निर्यात ऋण घटक होता है, उदाहरणार्थ फ्रेंच और जर्मन ऋण तथा स्विस मिश्रित ऋण, जिसे द्विपक्षीय नहीं माना जाता, लेकिन निर्यात ऋण का एक भाग माना जाता है। गैर सरकारी कंपनियों द्वारा द्विपक्षीय स्रोतों से जुटाये गये ऋण, जिनमें बाजार से जुड़ी ब्याज दरों पर लिये गये ऋण (वाणिज्यिक उधार) शामिल होते हैं, उदाहरण के लिए एक्विजम

जापान, एक्विजम यूएसए और केएफडब्लू जर्मनी से लिये गये ऋणों को द्विपक्षीय कोटि में शामिल किया जाता है।

- बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋणों को सरकारी और गैर सरकारी उधार में वर्गीकृत किया जाता है। सरकारी उधार वे होते हैं, जो केंद्र सरकार के बजट में उल्लिखित होते हैं। गैर सरकारी ऋण वे सभी ऋण होते हैं, जो गैर सरकारी निकायों द्वारा सरकार की गारंटी के साथ या गारंटी के बिना जुटाये जाते जाते हैं। सरकार के और गैर-सरकारी ऋण को पुनः रियायती और गैर रियायती ऋणों में तोड़ा जाता है। रियायती ऋण ओडीए के अंतर्गत वे ऋण होते हैं, जिनमें अनुदान का तत्व 25 प्रतिशत से अधिक का होता है। बाकी सभी ऋण गैर रियायती होते हैं।
- 'आईएमएफ' वर्गीकरण निधि ऋणों के उपयोग का द्योतक होता है। 'निर्यात ऋणों' में अनिवार्य रूप से दीर्घावधि व्यापार ऋण शामिल होते हैं। 'क्रेता का ऋण' ऐसे निर्यात ऋण होते हैं, जो वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से दाता देश की निर्यात ऋण एजेंसी से बीमा रक्षा के साथ जुटाये जाते हैं। 'आपूर्तिकर्ता का ऋण' वे ऋण होते हैं, जो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्यात ऋण एजेंसियों की बीमा रक्षा के साथ या उसके बिना दिये जाते हैं। 'द्विपक्षीय ऋणों का निर्यात ऋण घटक' वैसे निर्यात ऋण होते हैं, जो वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से प्राप्त होते हैं द्विपक्षीय साहाय्य के पैकेज का भाग होते हैं।
- 'वाणिज्यिक उधार' में समाविष्ट होते हैं अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाजारों से वाणिज्यिक शर्तों पर लिये गये उधार। 'वाणिज्यिक बैंक ऋण' भारतीय कंपनियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय बैंकों से लिये गये उधार को और भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की समुद्रपार शाखाओं द्वारा भारतीय निवासियों को दिये गये अन्य वित्तीय

लीजिंग एवं लेंडिंग को निर्दिष्ट करते हैं। 'प्रतिभूतिकृत उधार' में वे निधियाँ शामिल होती हैं, जो प्रतिभूतिकृत लिखतों, यथा, बांडों (जिसमें उदाहरण के लिए भारत विकास बांड और रिसर्जेंट इंडिया बांड शामिल हैं), फ्लोटिंग रेट नोट्स, यूरो कमर्शियल पेपर, नोट इश्युएंस फैसिलिटी, आदि और अपरिवर्तनीय/परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके जुटायी जाती हैं। इसमें इंडिया मिलेनियम डिपोजिट्स (आईएमडी) भी शामिल है। सरकारी प्रतिभूतियों में एफआइआइ निवेश को प्रतिभूतिकृत उधार के भाग के रूप में माना जाता है। 'बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गारंटी के साथ ऋण/प्रतिभूतिकृत उधार और आईएफसी (डब्लू)' में भारतीय निवासियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाजार से बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गारंटी के साथ लिये गये उधार शामिल हैं।

- अनिवासी जमाराशियाँ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफसीएनआर) (बी) और अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता (एनआर(ई)आरए) के अंतर्गत जमाराशियों से बनती हैं। पिछले आँकड़ों में विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआरए) शामिल है, जिसे अगस्त 1994 में वापस ले लिया गया।
- रुपया कर्ज में सिविलियन और गैर सिविलियन (प्रतिरक्षा) रुपया कर्ज शामिल है, जो रूस को दिया जाना है, जिसे निर्यात के माध्यम से चुकाया जाना है।
- अल्पावधि कर्ज द्योतक होता है सभी प्रकार के उधारों का, जिनमें छह महीने से एक वर्ष की परिपक्वता वाली जमाराशियाँ शामिल हैं।

5.2.5. अन्य पहलू

भारतीय रिजर्व बैंक भारत के बाह्य कर्ज के संबंध में तिमाही आँकड़े मार्च और जून में अंत होने वाली

तिमाहियों के लिए संकलित और प्रकाशित करता है और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार सितंबर और दिसंबर में समाप्त तिमाहियों के लिए बाह्य कर्ज के आँकड़े जारी करता है। इन आँकड़ों को आवधिक तौर पर समायोजित नहीं किया जाता है। ये आँकड़े जब पहली बार जारी किये जाते हैं उस समय ये प्रारंभिक आँकड़े रहते हैं और लगभग एक वर्ष में उनका संशोधन किया जाता है, जिस समय तक वे अंतिम आँकड़े हो जाते हैं।

5.3. विदेशी निवेश अंतर्वाह

विदेशी निवेश अंतर्वाह का मोटे तौर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई) के रूप में कोटिकरण किया जा सकता है। एफडीआई वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक देश का निवासी (अपना देश) किसी दूसरे देश (मेजबान देश) में किसी फर्म के उत्पादन, संवितरण और अन्य कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने के प्रयोजनार्थ उसके स्वामित्व का अर्जन करता है। भुगतान संतुलन मैनुअल, पाँचवाँ संस्करण (बीपीएम-5) में अंतर्विष्ट अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की परिभाषा के अनुसार एफडीआई के तीन घटक होते हैं, यथा, इक्विटी पूँजी, पुनर्निवेशित आमदनी और अन्य प्रत्यक्ष पूँजी। भारत एफडीआई अंतर्वाह की रिपोर्ट आईएमएफ परिभाषा के अनुसार करता है, जिसमें इक्विटी पूँजी के अतिरिक्त पुनर्निवेशित आमदनी और अन्य प्रत्यक्ष पूँजी अंतर्वाह शामिल होता है। संविभाग निवेश में बांडों और नोटों के रूप में इक्विटी प्रतिभूतियों और ऋण प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार लिखत और अन्य लिखत, यथा, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स (एडीआर)/ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स (जीडीआर), जो सामान्यतः इक्विटी के स्वामित्व को निर्दिष्ट करते हैं, में किये गये निवेश शामिल होते हैं।

5.3.1. आँकड़ों का क्षेत्र विस्तार

आईएमएफ की प्रथा का अनुसरण करते हुए और अन्य देशों की प्रथाओं के अनुरूप विदेशी निवेश के

ऑकड़े दो स्थूल शीर्षकों में प्रकाशित किये जाते हैं : विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई)। भारत के लिए एफडीआई ऑकड़े निम्नलिखित तीन स्थूल शीर्षकों, यथा, इक्विटी पूँजी, पुनर्निवेशित अर्जन और अंतःकंपनी ऋण, के अंतर्गत प्रकाशित किये जाते हैं। एफपीआई में अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स (एडीआर)/ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) जारी करने के माध्यम से किये गये संविभाग अंतर्वाह और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा निवेश शामिल होता है।

5.3.2. लेखांकन परंपरा

विदेशी निवेश के ऑकड़े संकलित किये जाते हैं और अमरीकी डालर में प्रस्तुत किये जाते हैं।

5.3.3. मूलभूत ऑकड़ा स्रोतों का स्वरूप

विदेशी निवेश के विविध घटकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए मूलभूत स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक होता है।

5.3.4. संकलन की प्रथाएँ

भारत में एफडीआई और एफपीआई सहित विदेशी निवेश के ऑकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मासिक आधार पर संकलित किये जाते हैं, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन रिपोर्टिंग प्रणाली (आइटीआरएस) का प्रयोग जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में किया जाता है। बीपीएम-5 में निर्धारित पद्धति का अनुसरण करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नये अंतर्वाह के संबंध में ऑकड़े उन कंपनियों द्वारा, जो ये निधियाँ प्राप्त करती हैं, इन लेनदेनों की रिपोर्टिंग के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं। जो कंपनियाँ विदेशी निवेश रिपोर्ट प्राप्त करती हैं, वे इन प्राप्त-ऑकड़ों को पूरे ब्यौरे के साथ रिजर्व बैंक को भेजती हैं, जो तब समेकित किये जाते हैं और प्रत्यक्ष निवेश ऑकड़ों के संकलन के लिए उपयोग किये जाते हैं। कंपनियों द्वारा एडीआर/

जीडीआर निर्गमों के माध्यम से जुटायी गयी राशि की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को की जाती है।

रिजर्व बैंक भी अलग से साप्ताहिक आधार पर अभिरक्षकों से एफआइआइ के खातों में वास्तविक अंतर्वाह और बहिर्वाह के ब्यौरे प्राप्त करता है। पुनर्निवेशित अर्जन और अन्य पूँजी के संबंध में ऑकड़े एफडीआई कंपनियों के संबंध में वार्षिक सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं। ये भिन्न-भिन्न घटक तब अंतिम रूप से संकलित और समेकित किये जाते हैं, ताकि भारत में सकल विदेशी निवेश के संबंध में ऑकड़े प्राप्त हो सकें।

5.3.5. अन्य पहलू

आरबीआई विदेशी निवेश के ऑकड़े मासिक आधार पर आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित करता है, जिसमें प्रत्यक्ष निवेश और संविभाग निवेश का घटकवार ब्यौरा दिया जाता है। प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होते हैं निम्नलिखित के माध्यम से अंतर्वाह (i) सरकारी मार्ग (एसआइए/एफआइपीबी), आरबीआई स्वचालित मार्ग, एनआरआई, शोयरो के अभिग्रहण और अनिगमित निकायों की इक्विटी पूँजी के माध्यम से इक्विटी, (ii) पुनर्निवेशित अर्जन और (iii) अन्य पूँजी। संविभाग निवेश में शामिल होते हैं : (i) जीडीआर/एडीआर, (ii) एफआइआइ और (iii) अपतटीय निधियाँ और अन्य।

5.4. अनिवासी जमाराशियाँ

अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को विशेष जमा योजनाओं - रुपया मूल्यवर्गित और विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित, दोनों के अंतर्गत भारत में बैंक खाता खोलने और रखने की अनुमति दी जाती है। ऐसी जमाराशियों को एनआरआई जमाराशियाँ कहा जाता है। एनआरआई जमा खाता खोलने और रखने के प्रयोजनार्थ अनिवासी भारतीय और समुद्रपारीय कंपनी निकायों को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है :

- भारत के बाहर रोजगार/कारोबार या व्यवसाय या पेशा करने या परिस्थितियों के चलते विदेश में अनिश्चित अवधि तक ठहरने के लिए बाध्य कोई भारतीय नागरिक, जो भारत के बाहर रहता है और भारतीय मूल का विदेशी नागरिक, जो भारत के बाहर रहता है, उसे अनिवासी भारतीय के रूप में परिभाषित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठनों में नियोजित व्यक्ति और केंद्र/राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेश में अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्त अधिकारियों को भी अनिवासी के रूप में माना जाता है।
- भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में बैंक जमा और निवेश के अंतर्गत कुछ सुविधाओं के लिए एनआरआई के समकक्ष माना जाता है। 'भारतीय मूल का व्यक्ति' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति (जो पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका का नागरिक नहीं हो), जिसने किसी समय भारतीय पासपोर्ट रखा हो; या वह या उसके माता-पिता या पितामह भारतीय संविधान या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57वाँ) के आधार पर भारत के नागरिक थे।

5.4.1. आँकड़ों का क्षेत्र विस्तार

एनआरआई जमाराशियों में शामिल होती हैं विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफसीएनआर(बी) और विदेशी मुद्रा (बाह्य) रुपया खाता (एनआर(ई)आरए) खाता के अंतर्गत जमाराशियाँ। पिछले आँकड़ों में एनआर(एनआर)आरडी शामिल था, जिसे 2002 में वापस ले लिया गया।

एफसीएनआर (बी) विदेशी मुद्रा में नामित होते हैं। ये जमाराशियाँ एनआरआई द्वारा जमा की जा सकती हैं, इन्हें पाउंड स्टर्लिंग, अमरीकी डालर, यूरो, जापानी येन, आस्ट्रेलियन डालर और कैनेडियन डालर में स्वीकार किया

जाता है। एफसीएनआर (बी) जमाराशियाँ एक वर्ष और अधिक लेकिन दो वर्ष से कम अवधि के लिए, दो वर्ष और अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम और केवल तीन वर्ष के लिए स्वीकार की जाती हैं।

दूसरी ओर (एनआर(ई)आरए) और एनआर(एनआर)आरडी रुपया मूल्यवर्गित जमा योजनाएँ हैं, जहाँ एनआरआई अपनी निधियों को मीयादी जमा और बचत खातों, दोनों में रख सकते हैं।

5.4.2. लेखांकन परंपराएँ

एफसीएनआर (बी) जमाराशियों का संकलन और प्रसार अमरीकी डालर में किया जाता है। एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के लिए लेनदेन की इकाई (अमरीकी डालर) में परिवर्तन औसत मासिक विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। एनआरआई और एनआरएनआर जमाराशियों के आँकड़े पहले भारतीय रुपयों में संकलित किये जाते हैं और तब अमरीकी डालर में बदले जाते हैं। प्रत्येक महीने के अंत में स्टॉक आँकड़े की गणना संबंधित महीने के लिए अंत-अवधि विनिमय दर के आधार पर की जाती है। मासिक निवल प्रवाह आँकड़ों के संकलन के लिए उस माह के लिए औसत रुपया-डालर विनिमय दर का उपयोग संपरिवर्तन के लिए किया जाता है।

5.4.3. मूलभूत आँकड़ा स्रोतों का स्वरूप

एनआरआई जमाराशियों के विविध घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मूलभूत स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक होता है।

5.4.4. संकलन की प्रथाएँ

इस समय विद्यमान अनिवासी जमा योजनाओं के अंतर्गत मासिक बकाया जमाशेषों का संकलन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में प्राप्त बाह्य देयताओं के संबंध में पाक्षिक विवरण के आधार पर किया जाता

है। इन आँकड़ों में एडी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे गये मासिक विवरणों में प्राप्त जानकारी जोड़ी जाती है, ताकि परिपक्वता विन्यास को हिसाब लगाया जा सके और विविध जमाराशियों के शेषों की तुलना की जा सके।

5.4.5. अन्य पहलू

एनआरआई जमाराशियों के संबंध में आँकड़े भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन में मासिक आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। इसे प्रत्येक तिमाही में बुलेटिन की भुगतान संतुलन सारणी में भी प्रकाशित किया जाता है।

5.5. भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश-स्थिति

किसी विनिर्दिष्ट अवधि के अंत में, जैसेकि तिमाही के अंत या वर्ष के अंत में संकलित की गयी अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आइएनआइपी) किसी देश की बाह्य वित्तीय आस्तियों और देयताओं के स्टॉक का तुलनपत्र होती है। निवल आइएनआइपी (बाह्य आस्तियों का स्टॉक घटाव बाह्य देयताओं का स्टॉक) किसी अर्थव्यवस्था की देनदारी की तुलना में उसकी संपत्ति के बीच अंतर को दर्शाता है। विदेशी निवेश के स्तर में दुनिया की बढ़ती दिलचस्पी को प्रतिबिंबित करते हुए आइएनआइपी को आईएमएफ के विशेष आँकड़ा प्रसार मानक (एसडीडीएस) में शामिल किया गया है, ताकि शेष विश्व के साथ देश के आर्थिक संबंध का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख जानकारी दी जा सके। आइएनआइपी का संकल्पनात्मक ढाँचा आईएमएफ के भुगतान संतुलन मैनुअल के पाँचवें संस्करण (बीपीएम5) में वर्ष 1993 में आरंभ किया गया। विनिर्दिष्ट अवधि के अंत में मौजूद स्थिति वित्तीय लेनदेनों, मूल्यन परिवर्तन, और अन्य समायोजनों को प्रतिबिंबित करती है, जो उस अवधि में घटित हुई और जिसने आस्तियों और/या देयताओं के स्तर को प्रभावित किया।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक आधार पर आइएनआइपी आँकड़ों का प्रसार एसडीडीएस के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुसार किया जाता है। यह मैनुअल भारत के आइएनआइपी का संकलन करने के लिए अपनायी गयी विस्तृत संकलन क्रियाविधि प्रस्तुत करता है।

5.5.1. अवधारणा

भुगतान संतुलन (बीओपी) और आइएनआइपी की अंतर्निहित अवधारणा एक ही है [संदर्भ बीपीएम5 (1993), बीओपी संकलन निर्देशिका (1995), बीओपी टेक्स्ट बुक (1996)]। किसी अर्थव्यवस्था में निवासियों और अनिवासियों के बीच लेनदेनों को बीओपी में तीन खातों में दिखाया जाता है, यथा, चालू खाता, पूँजीगत खाता और वित्तीय खाता। अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति अर्थव्यवस्था की बाह्य वित्तीय आस्तियों और देयताओं के स्टॉक का मापन करती है, बीओपी वित्तीय लेखा इस अवधि के दौरान इन आस्तियों और देयताओं में लेनदेनों का मापन करता है।

5.5.2. आइएनआइपी के घटक : परिभाषा और वर्गीकरण

विदेशी आस्तियाँ और विदेशी देयताएँ

किसी देश द्वारा अनिवासी कंपनियों में किया गया अंतरराष्ट्रीय निवेश विदेशी आस्तियाँ बनाता है, जबकि अनिवासी कंपनियों से किसी देश द्वारा प्राप्त अंतरराष्ट्रीय निवेश इसकी विदेशी देयताएँ बनाता है। ये आस्तियाँ/ देयताएँ मुख्यतः वित्तीय आस्तियाँ और वित्तीय देयताएँ होती हैं। आस्तियों को प्रत्यक्ष निवेश, संविभाग निवेश, वित्तीय डेरिवेटिव, अन्य निवेश और आरक्षित आस्तियों में विभाजित किया जाता है। देयताओं का विभाजन भी इसी प्रकार किया जाता है, सिवाय आरक्षित आस्तियों के, अर्थात्, प्रत्यक्ष निवेश, संविभाग निवेश, वित्तीय डेरिवेटिव और अन्य निवेश।

प्रत्यक्ष निवेश और संविभाग निवेश

आईएमएफ मैनुअल के अनुसार अंतरराष्ट्रीय निवेशों को मोटे तौर पर पाँच कोटियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा, प्रत्यक्ष निवेश, संविभाग निवेश, वित्तीय डेरिवेटिव, अन्य निवेश और आरक्षित आस्तियाँ। प्रत्यक्ष निवेश अंतरराष्ट्रीय निवेश की वह कोटि होती है, जो एक अर्थव्यवस्था की निवासी कंपनी की दूसरी अर्थव्यवस्था के निवासी उद्यम में स्थायी हित प्राप्त करने के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। प्रत्यक्ष निवेश में इक्विटी पूँजी, पुनर्निवेशित अर्जन, और अन्य पूँजी (अंतर-कंपनी ऋण) शामिल होती है। संबद्ध उद्यमों पर दावों और उनके प्रति देयताओं को अलग दर्शाया जाता है। 'स्थायी हित' पहलू का रूपांतर साधारण शेयर के धारण या मतदान के अधिकार में किया जाता है, जो आईएमएफ के निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक दस प्रतिशत होता है। अन्यथा निवेश को इक्विटी संविभाग निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

मैनुअल यह बताता है कि संविभाग निवेश में बांडों और नोटों के रूप में इक्विटी प्रतिभूतियाँ और ऋण प्रतिभूतियाँ, और मुद्रा बाजार लिखत शामिल होते हैं। ऊपर उल्लिखित जो लिखत प्रत्यक्ष निवेश और आरक्षित आस्तियों की कोटियों में शामिल किये जाते हैं, उन्हें संविभाग निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक लिखत के अंतर्गत संविभाग निवेश को संस्थागत निवासी क्षेत्रों द्वारा उप वर्गीकृत किया जाता है, यथा, मौद्रिक प्राधिकारी, सामान्य सरकार, बैंक और अन्य क्षेत्र।

वित्तीय डेरिवेटिव

वित्तीय डेरिवेटिव जैसे वित्तीय लिखत होते हैं, जो दूसरे विशिष्ट वित्तीय लिखत, संकेतक या पण्य से जुड़े होते हैं, जिनके माध्यम से विशिष्ट वित्तीय जोखिमों का लेनदेन वित्तीय बाजारों में उनके अपने ही अधिकार से किया जा सकता है। डेरिवेटिव चार

संस्थागत निवासी क्षेत्रों, यथा, मौद्रिक प्राधिकारी, सामान्य सरकार, बैंक और अन्य क्षेत्र द्वारा वर्गीकृत किये जाते हैं। यहाँ सभी वित्तीय डेरिवेटिवों को शामिल किया जाता है, सिवाय आरक्षित आस्तियों के अंतर्गत रिपोर्ट किये गये डेरिवेटिवों के।

अन्य निवेश

निवेशों की चौथी कोटि, यथा, 'अन्य निवेश' में इक्विटियों में निवेश से भिन्न निवेश और प्रतिभूतियाँ, यथा, व्यापार ऋण, ऋण, मुद्रा और जमाराशियाँ और अन्य आस्तियाँ/देयताएँ (यथा, अंतरराष्ट्रीय, गैर मौद्रिक संगठनों में पूँजीगत अभिदान और प्राप्य एवं प्रतिदेय विविध खाते) शामिल होते हैं। अन्य निवेश का क्षेत्र के अनुसार और अंततः मूल परिपक्वता (दीर्घावधि एवं अल्पावधि) के अनुसार भी वर्गीकरण किया जाता है।

उक्त मदों के लिए आँकड़ा स्रोतों पर विस्तृत चर्चा आईएमएफ द्वारा प्रकाशित आइएनआइपी निर्देशिका (2002) में उपलब्ध है।

आरक्षित आस्तियाँ

आरक्षित आस्तियाँ वैसी विदेशी वित्तीय आस्तियाँ होती हैं, जो मौद्रिक प्राधिकारियों को भुगतान असंतुलन का वित्तपोषण करने या उसे नियमित करने के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए उपलब्ध होती हैं और उनके द्वारा नियंत्रित होती हैं।

5.5.3. भारत के आइएनआइपी आँकड़ों का प्रसार

भारत आइएनआइपी से संबंधित आँकड़ों का प्रसार 1951 से ही करता रहा है। भारत के आइएनआइपी के संबंध में पहला अध्ययन, जिसका शीर्षक था "सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाएबिलिटीज एंड एसेट्स (30 जून 1948 को)" भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1951 में प्रकाशित किया गया [आरबीआई (1951)]। तथापि, एसडीडीएस में भारत के अभिदान के साथ भारत आईएमएफ द्वारा

निर्धारित एसडीडीएस फार्मेट में आइएनआइपी आँकड़ों के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध हुआ। वर्तमान में, मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक आँकड़े उसी कैलेंडर वर्ष के सितंबर तक भारतीय रिजर्व बैंक वेबसाइट के माध्यम से जारी किये जाते हैं। आँकड़े एसडीडीएस के अंतर्गत निर्धारित फार्मेट के अनुसार जारी किये जाते हैं और अंत-मार्च 1997 से उपलब्ध हैं।

5.5.4. संकलन की पद्धति/क्रियाविधि

आइएनआइपी का फार्मेट, जो आईएमएफ द्वारा निर्धारित होता है, अनुबंध 5.1 में प्रस्तुत किया गया है। इस समय आँकड़ों का संकलन करने के लिए दो विधियों का अनुसरण किया जाता है, जो निम्नानुसार हैं :

- प्रत्यक्ष निवेश (डीआइ) आँकड़ों के मामले में बीओपी के आँकड़े पिछले वर्ष के स्टॉक मूल्य में जोड़े जाते हैं। अंतिम संकलन में आवश्यक विनिमय दर परिवर्तनों को हिसाब में लिया जाता है। डीआइ आस्तिक के मामले में आँकड़ों को पहले अमरीकी डालर (यूएसडी) मूल्यों के आधार पर संकलित किया जाता है और तब उन्हें भारतीय रुपया मूल्यों में बदला जाता है। डीआइ देयताओं के मामले में आँकड़ों को पहले भारतीय रुपयों में संकलित किया जाता है और तब यूएसडी में बदला जाता है। आइएनआर की तुलना में यूएसडी की विनिमय दर, जो संदर्भ वर्ष के अंत-मार्च में होती है, का प्रयोग संपरिवर्तन के लिए किया जाता है। अंत-मार्च 1997 के संबंध में आँकड़े, जो एक सेंसस के माध्यम से संकलित किये गये थे, और 2000

में प्रकाशित किये गये थे, आधार मूल्य प्रदान करते हैं [आरबीआई(2000)]।

- बैंकों, सरकार और मौद्रिक प्राधिकारी से संबंधित आँकड़ों का संकलन प्रकाशित स्रोतों के आधार पर किया जाता है या तदनुकूल एजेंसियों से संगृहीत किया जाता है। यदि स्टॉक मूल्य के प्रकाशित आँकड़े यूएसडी और आइएनआर में उपलब्ध होते हैं (उदाहरणार्थ, आरक्षित निधियाँ, बाह्य ऋण, आदि), तो प्रकाशित जानकारी का उपयोग आइएनआइपी के लिए किया जाता है। यदि आँकड़े किसी एक मुद्रा में ही उपलब्ध हों तो आवश्यक संपरिवर्तन के लिए संदर्भ दर के आइएनआर की तुलना में मार्च के अंत के अमरीकी डॉलर की विनिमय दर का उपयोग किया जाता है।
- कंपनी क्षेत्र से संबंधित आँकड़े (प्रत्यक्ष निवेश और संविभाग निवेश से भिन्न) सर्वेक्षण, अर्थात् गैर वित्तीय कंपनियों, म्युचुअल फंडों, बीमा कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों के संबंध में सर्वेक्षण के आधार पर संकलित किये जाते हैं।

5.5.5. वर्तमान कार्यप्रणाली की सीमा

आइएनआइपी में दीर्घावधि में परिवर्तन चार कारणों से होते हैं, यथा, वित्तीय लेनदेन, कीमत और विनिमय दर परिवर्तन और अन्य समायोजन जैसाकि सारणी 5.1 में दर्शाया गया है।

इस समय कुछ मद्दे, यथा, आरक्षित निधियाँ, अनिवासी जमाराशियाँ, ऊपर उल्लिखित सभी परिवर्तनों को समाविष्ट करते हुए संकलित की जाती हैं। तथापि, अन्य सभी मद्दों के मामले में वित्तीय लेनदेनों और विनिमय दरों के कारण

सारणी 5.1 : आइएनआइपी में परिवर्तन

सारणी 5.1 : आइएनआइपी में परिवर्तन					
परिवर्तन					
अवधि के आरंभ में स्थिति	वित्तीय लेनदेन	कीमत परिवर्तन	विनिमय दर	अन्य समायोजनमूलक परिवर्तन	अवधि के अंत में स्थिति

होने वाले परिवर्तनों को ही हिसाब में लिया जाता है, क्योंकि कीमत परिवर्तन और अन्य समायोजनों के संबंध में जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं होती।

उपर्युक्त का अनुसरण करते हुए विविध घटकों के आँकड़ा स्रोत और संकलन क्रियाविधि सारणी 5.2 में दी गयी है।

5.6. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के संबंध में सांख्यिकी

भारतीय रिजर्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के सदस्य के रूप में सांविधिक और अंतरराष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए विदेशी

सारणी 5.2 : अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए दिशानिर्देशों का संकलन

	प्रवाह	स्टॉक्स	स्रोत
ए. आस्तियाँ			
1. विदेश में प्रत्यक्ष निवेश			
1.1 इक्विटी पूँजी और पुनर्निवेशित अर्जन	बीओपी सारणी : 43 (यूएसडी में) - नवीनतम (यथाप्रासंगिक)	स्टॉक के संबंध में आधार आँकड़ों में, जो 'सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाएबिलिटीज एंड एसेट्स ऐज ऑन मार्च 1997; आरबीआई बुलेटिन अक्टूबर 2000' शीर्षक लेख में उपलब्ध हैं, निवल प्रवाह जोड़ा जाता है,	आरबीआई बुलेटिन प्रवाह संबंधी आँकड़ों के लिए (बीओपी आँकड़ों के संबंध में विवरण)
1.1.1 संबद्ध उद्यमों पर दावे		अनुपलब्ध	
1.1.2 संबद्ध उद्यमों के प्रति देयताएँ (-)		अनुपलब्ध	
1.2 अन्य पूँजी	बीओपी सारणी : 43 (यूएसडी में) - नवीनतम (यथाप्रासंगिक)	स्टॉक के संबंध में आधार आँकड़ों में, जो 'सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाएबिलिटीज एंड एसेट्स ऐज ऑन मार्च 1997; आरबीआई बुलेटिन अक्टूबर 2000' शीर्षक लेख में उपलब्ध हैं, निवल प्रवाह जोड़ा जाता है	आरबीआई बुलेटिन प्रवाह संबंधी आँकड़ों के लिए
1.2.1 संबद्ध उद्यमों पर दावे		अनुपलब्ध	
1.2.2 संबद्ध उद्यमों के प्रति देयताएँ (-)		अनुपलब्ध	
2. संविभाग निवेश			
2.1 इक्विटी प्रतिभूतियाँ	बीओपी सारणी : 43 (यूएसडी में) - नवीनतम (यथाप्रासंगिक)	जैसाकि मद 1.1 और 1.2 के लिए उल्लिखित है	आरबीआई बुलेटिन प्रवाह संबंधी आँकड़ों के लिए
2.1.1 मौद्रिक प्राधिकारी		लागू नहीं	
2.1.2 सामान्य सरकार		लागू नहीं	
2.1.3 बैंक		अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग विवरण (आइबीएस) (विवरण-II) मद 3.1 : अन्य आस्तियाँ: विदेश में इक्विटी में निवेश: स्थानीय बैंकिंग सांख्यिकी	आरबीआई बुलेटिन- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी पर लेख
2.1.4 अन्य क्षेत्र		2.1-2.1.3	

सारणी 5.2 : अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए दिशानिर्देशों का संकलन (जारी)

	प्रवाह	स्टॉक्स	प्रोत
2.2 ऋण प्रतिभूतियाँ	-		
2.2.1 बांड और नोट			
2.2.1.1 मौद्रिक प्राधिकारी		लागू नहीं	
2.2.1.2 सामान्य सरकार		लागू नहीं	
2.2.1.3 बैंक	-	आईबीएस (विवरण II) मद 2.2. अन्य ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	आरबीआई बुलेटिन- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी पर लेख
2.2.1.4 अन्य क्षेत्र	.. पर लेख	सर्वेक्षण आँकड़े	विदेशी देयताएँ और आस्ति सर्वेक्षण (एफएलएएस) सांख्यिकीसेवि (बीपीएसडी) द्वारा संचालित
2.2.2 मुद्रा बाजार लिखत			
2.2.2.1 मौद्रिक प्राधिकारी		लागू नहीं	
2.2.2.2 सामान्य सरकार		लागू नहीं	
2.2.2.3 बैंक	-	आईबीएस (विवरण II) मद 2.1 ⑥ विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	आरबीआई बुलेटिन- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी पर लेख
2.2.2.4 अन्य क्षेत्र	-	सर्वेक्षण आँकड़े	विदेशी देयताएँ और आस्ति सर्वेक्षण (एफएलएएस) सांख्यिकीसेवि (बीपीएसडी) द्वारा संचालित
3. वित्तीय डेरिवेटिव	-	अनुपलब्ध	
3.1 मौद्रिक प्राधिकारी			
3.2 सामान्य सरकार			
3.3 बैंक			
3.4 अन्य क्षेत्र			
4. अन्य निवेश	-	मद 4.1.2 के अनुसार	
4.1 व्यापार ऋण			
4.1.1 सामान्य सरकार		लागू नहीं	
4.1.1.1 दीर्घावधि			
4.1.1.2 अल्पावधि	-		
4.1.2 अन्य क्षेत्र			
4.1.2.1 दीर्घावधि		सर्वेक्षण के अनुसार	विदेशी देयताएं और आस्ति सर्वेक्षण (एफएलएएस) सांख्यिकीसेवि (बीपीएसडी) द्वारा संचालित

सारणी 5.2 : अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए दिशानिर्देशों का संकलन (जारी)

	प्रवाह	स्टॉक्स	स्रोत
4.1.2.2 अल्पावधि	-		आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग) से संगृहीत: आँकड़े उन निर्यात प्राप्तियों के संबंध में हैं, जो कंपनी क्षेत्र द्वारा वसूले नहीं गये
4.2 ऋण			
4.2.1 मौद्रिक प्राधिकारी		लागू नहीं	
4.2.1.1 दीर्घावधि			
4.2.1.2 अल्पावधि			
4.2.2 सामान्य सरकार			
4.2.2.1 दीर्घावधि		(1) विदेशी सरकारों को अग्रिम और (2) पाकिस्तान द्वारा देय विभाजन ऋण	मद (1) के संबंध में आँकड़े आरबीआई (आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग) द्वारा संकलित किये जाते हैं। मद (2) के संबंध में आँकड़े आरबीआई द्वारा प्रकाशित किये गये (सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरन लाएबिलिटीज एंड एसेट्स ऐज ऑन मार्च 1997; आरबीआई बुलेटिन, अक्टूबर 2000)
4.2.2.2 अल्पावधि		अनुपलब्ध	
4.2.3 बैंक		बैंकों की आस्तियाँ और देयताएँ (बीएएल)(मद-5)	आरबीआई (सांविक्सेवि) द्वारा संकलित
4.2.3.1 दीर्घावधि		बैंकों की आस्तियाँ और देयताएँ (बीएएल)(मद-5)	आरबीआई (सांविक्सेवि) द्वारा संकलित
4.2.3.2 अल्पावधि		अनुपलब्ध	
4.2.4 अन्य क्षेत्र		सर्वेक्षण आँकड़े	विदेशी देयताएँ और आस्ति सर्वेक्षण (एफएलएएस) आरबीआई (सांविक्सेवि) द्वारा संचालित
4.2.4.1 दीर्घावधि		लागू नहीं	
4.2.4.2 अल्पावधि		लागू नहीं	
4.3 करेसी और जमाराशियाँ			

सारणी 5.2 : अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए दिशानिर्देशों का संकलन (जारी)

	प्रवाह	स्टॉक्स	भ्रोट
4.3.1 मौद्रिक प्राधिकारी		शून्य	
4.3.2 सामान्य सरकार		विदेश में भारतीय दूतावासों द्वारा धारित जमाशेष	आरबीआई (आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग)
4.3.3 बैंक		बीएएल-करेंसी (मद-1) + जमाराशियाँ (मद-2)	आरबीआई (सांविक्सेवि) द्वारा संकलित
4.3.4 अन्य क्षेत्र		सर्वेक्षण	विदेशी देयताएँ और आस्ति सर्वेक्षण (एफएलएएस) आरबीआई (सांविक्सेवि) द्वारा संचालित
4.4 अन्य आस्तियाँ			
4.4.1 मौद्रिक प्राधिकारी		शून्य	
4.4.1.1 दीर्घावधि			
4.4.1.2 अल्पावधि			
4.4.2 सामान्य सरकार			
4.4.2.1 दीर्घावधि		संपरिवर्तन के बाद अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को अभिदान: वार्षिक रिपोर्ट	इसमें शामिल हैं एएफडी, आइएफसी, आइडीए, आइबी-आरडी, एमआइजीए, एडीबी। आँकड़े संबंधित वेबसाइटों से संगृहीत किये जाते हैं
4.4.2.2 अल्पावधि		लागू नहीं	
4.4.3 बैंक			
4.4.3.1 दीर्घावधि		(1) भारतीय बैंकों की समुद्रपार शाखाओं के समेकित तुलनपत्र (देयताएँ: प्रधान कार्यालय, अर्थात् एचओ फंड) और (2) बीएएल [वोस्को(नामे)]	मद (1) आरबीआई (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) से मद (2) आरबीआई (सांविक्सेवि) द्वारा संकलित
4.4.3.2 अल्पावधि		अनुपलब्ध	
4.4.4 अन्य क्षेत्र		सर्वेक्षण : एलआइसी, बीमा, म्युचुअल फंड, कंपनी	विदेशी देयताएँ और आस्ति सर्वेक्षण (एफएलएएस) आरबीआई (सांविक्सेवि) द्वारा संचालित
4.4.4.1 दीर्घावधि		तदैव	तदैव
4.4.4.2 अल्पावधि		तदैव	तदैव
5. आरक्षित आस्तियाँ			
5.1 मौद्रिक स्वर्ण		आँकड़े आरबीआई द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं	आरबीआई, आरबीआई बुलेटिन (सारणी 4.4)
5.2 विशेष आहरण अधिकार		तदैव	तदैव

सारणी 5.2 : अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए दिशानिर्देशों का संकलन (जारी)

	प्रवाह	स्टॉक्स	स्रोत
5.3 कोष में आरक्षित निधि की स्थिति		तदैव	तदैव
5.4 विदेशी मुद्रा		तदैव	तदैव
5.4.1 करेंसी और जमाराशियाँ		अंतरराष्ट्रीय रिजर्व पर डाटा टेम्प्लेट	आइएमएफ का एसडीडीएस साइट (भारत से संबंधित पृष्ठ)
5.4.1.1 मौद्रिक प्राधिकारियों के पास		तदैव	तदैव
5.4.1.2 बैंकों के पास		तदैव	तदैव
5.4.2 प्रतिभूतियाँ		तदैव	तदैव
5.4.2.1 इक्विटी			
5.4.2.2 बांड और नोट			
5.4.2.3 मुद्रा बाजार लिखत			
5.4.3 वित्तीय डेरिवेटिव (निवल)			
5.5 अन्य दावे			
बी. देयताएँ			
1. रिपोर्ट की जानेवाली अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष निवेश			
1.1 इक्विटी पूँजी और पुनर्निवेशित अर्जन	बीओपी सारणी 42 (भारतीय रुपयों में)- नवीनतम (यथाप्रासंगिक)	निवल प्रवाह को स्टॉक में जोड़ा जाना है; आधार आँकड़े 'सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाएबिलिटीज एंड एसेट्स ऐज ऑन मार्च 1997, में उपलब्ध हैं	आरबीआई बुलेटिन, अक्टूबर 2000
1.1.1 प्रत्यक्ष निवेशकों पर दावे (-)		अनुपलब्ध	
1.1.2 प्रत्यक्ष निवेशकों के प्रति देयताएँ		अनुपलब्ध	
1.2 अन्य पूँजी	बीओपी सारणी 42 (भारतीय रुपयों में)- नवीनतम (यथाप्रासंगिक)	निवल प्रवाह को स्टॉक में जोड़ा जाना है; आधार आँकड़े 'सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाएबिलिटीज एंड एसेट्स ऐज ऑन मार्च 1997, में उपलब्ध हैं	आरबीआई बुलेटिन, अक्टूबर 2000
1.2.1 प्रत्यक्ष निवेशकों पर दावे (-)		अनुपलब्ध	
1.2.2 प्रत्यक्ष निवेशकों के प्रति देयताएँ \$\$\$		अनुपलब्ध	
2. संविभाग निवेश			
2.1 इक्विटी प्रतिभूतियाँ			
2.1.1 बैंक @@			
2.1.2 अन्य क्षेत्र \$\$	बीओपी सारणी 42 (भारतीय रुपयों में)- नवीनतम (यथाप्रासंगिक)	निवल प्रवाह को स्टॉक में जोड़ा जाना है; आधार आँकड़े 'सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाएबिलिटीज एंड एसेट्स ऐज ऑन मार्च 1997, में उपलब्ध हैं	आरबीआई बुलेटिन, अक्टूबर 2000

सारणी 5.2 : अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए दिशानिर्देशों का संकलन (जारी)

	प्रवाह	स्टॉक्स	घ्नोत
2.2 ऋण प्रतिभूतियाँ			
2.2.1 बांड और नोट			
2.2.1.1 मौद्रिक प्राधिकारी		शून्य	
2.2.1.2 सामान्य सरकार		अनिवासी सरकार (एनआरजी) (प्रयोजन कूट'02')	आरबीआई (सांखिकंसेवि)
2.2.1.3 बैंक		बाह्य ऋण- Vख) प्रतिभूतिकृत उधार (केवल एफसीसीबी)	बाह्य ऋण सांख्यिकी
2.2.1.4 अन्य क्षेत्र ##		भारत का बाह्य ऋण- Vख) प्रतिभूतिकृत उधार (केवल एफसीसीबी)	बाह्य ऋण सांख्यिकी; आरबीआई
2.2.2 मुद्रा बाजार लिखत			
2.2.2.1 मौद्रिक प्राधिकारी		शून्य	
2.2.2.2 सामान्य सरकार (डिसैक्स)		एनआरजी (खजाना बिल)	आरबीआई द्वारा संकलित
2.2.2.3 बैंक		शून्य	
2.2.2.4 अन्य क्षेत्र		शून्य	
3. वित्तीय डेरिवेटिव		शून्य	
3.1 मौद्रिक प्राधिकारी			
3.2 सामान्य सरकार			
3.3. बैंक			
3.4 अन्य क्षेत्र			
4. अन्य निवेश			
4.1 व्यापार ऋण			
4.1.1 सामान्य सरकार			
4.1.1.1 दीर्घावधि		द्विपक्षीय ऋणों का निर्यात ऋण घटक - भारत का बाह्य ऋण	बाह्य ऋण सांख्यिकी, एमओएफ, जीओआइ
4.1.1.2 अल्पावधि		अनुपलब्ध	
4.1.2 अन्य क्षेत्र			
4.1.2.1 दीर्घावधि		भारत का बाह्य ऋण - आपूर्तिकर्ता का ऋण +प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए निर्यात ऋण	बाह्य ऋण सांख्यिकी, एमओएफ, जीओआइ
4.1.2.2 अल्पावधि		भारत का बाह्य ऋण:अन्य:व्यापार संबद्ध (छह महीनों से अधिक का अल्पावधि ऋण)	बाह्य ऋण सांख्यिकी, एमओएफ, जीओआइ

सारणी 5.2 : अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए दिशानिर्देशों का संकलन (जारी)

	प्रवाह	स्टॉक्स	स्रोत
4.2 ऋण			
4.2.1 मौद्रिक प्राधिकारी			
4.2.1.1 निधि का ऋण एवं कोष से प्राप्त ऋण का उपयोग		अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी (आइएफएस): पृष्ठ 534: भारत: एसडीआर को छोड़कर कुल कोष ऋण और बकाया ऋण	आईएमएफ
4.2.1.2 अन्य दीर्घावधि		शून्य	
4.2.1.3 अल्पावधि		शून्य	
4.2.2 सामान्य सरकार			
4.2.2.1 दीर्घावधि		भारत का बाह्य ऋण - बहुपक्षीय (ए)+ द्विपक्षीय (ए)+रुपया कर्ज	बाह्य ऋण सांख्यिकी, एमओएफ, जीओआइ
4.2.2.2 अल्पावधि		शून्य	
4.2.3 बैंक		शून्य	
4.2.3.1 दीर्घावधि		भारत का बाह्य ऋण [बहुपक्षीय ⑩ गैर सरकारी - ⑩ गैर रियायती ⑩ वित्तीय संस्थाएँ + द्विपक्षीय ⑩ गैर सरकारी (रियायती ⑩ वित्तीय संस्थाएँ + गैर रियायती ⑩ वित्तीय संस्थाएँ)]	बाह्य ऋण सांख्यिकी, एमओएफ, जीओआइ
4.2.3.2 अल्पावधि		शून्य	
4.2.4 अन्य क्षेत्र			
4.2.4.1 दीर्घावधि **		भारत का बाह्य ऋण-[बहुपक्षीय ⑩ गैर सरकारी ⑩ गैर रियायती ⑩ क) सार्वजनिक क्षेत्र + ख) निजी क्षेत्र)] + [द्विपक्षीय ⑩ गैर सरकारी ⑩ रियायती ⑩ (निजी+सार्वजनिक क्षेत्र)+द्विपक्षीय-> गैर सरकारी ⑩ गैर रियायती ⑩ (निजी+सार्वजनिक क्षेत्र)] + क्रेता का ऋण+वार्णिज्यिक बैंकिंग ऋण + ऋण/प्रतिभूतिकृत उधार, आदि बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गारंटी और आइएफसी(डब्लू) के साथ - ईसीबी (एफडीआई घटक ईसीबी अनुभाग से संगृहीत)	बाह्य ऋण सांख्यिकी, एमओएफ, जीओआइ। आरबीआई (सांविक्सेवि)
4.2.4.2 अल्पावधि		शून्य	
4.3 मुद्रा और जमाराशयों			
4.3.1 मौद्रिक प्राधिकारी		एनआरजी (प्रयोजन '01')	आरबीआई (सांविक्सेवि) द्वारा संकलित
4.3.2 सामान्य सरकार		शून्य	

सारणी 5.2 : अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए दिशानिर्देशों का संकलन (समाप्त)

	प्रवाह	स्टॉक्स	भ्रोट
4.3.3 बैंक @		भारत का बाह्य ऋण-एनआरआई एवं एफसी जमाराशियाँ + एनआरआई जमाराशियाँ 1 वर्ष तक	बाह्य ऋण सांख्यिकी
4.3.4 अन्य क्षेत्र		शून्य	
4.4 अन्य देयताएँ			
4.4.1 मौद्रिक प्राधिकारी		शून्य	
4.4.1.1 दीर्घावधि			
4.4.1.2 अल्पावधि			
4.4.2 सामान्य सरकार		शून्य	
4.4.2.1 दीर्घावधि			
4.4.2.2 अल्पावधि			
4.4.3 बैंक			
4.4.3.1 दीर्घावधि		शून्य	
4.4.3.2 अल्पावधि		बीएएल नोन्सो (नाम: कोड (भारतीय रुपये में बदलें और तब यूएसडी में संदर्भ वर्ष के अंत-मार्च विनिमय दर के साथ)	आरबीआई (सांखिकसेवि) द्वारा संकलित
4.4.4 अन्य क्षेत्र	सर्वेक्षण		विदेशी देयताएँ और आस्ति सर्वेक्षण (एफएलएएस) आरबीआई(सांखिकसेवि) द्वारा संचालित
4.4.4.1 दीर्घावधि			
4.4.4.2 अल्पावधि			

\$\$: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और संविभाग निवेश को कीमत परिवर्तन के लिए समायोजित नहीं किया जाता

\$\$\$: प्रत्यक्ष निवेशकर्ता और प्रत्यक्ष निवेश उद्यम के बीच सभी देयताओं (इक्विटी से भिन्न) को अन्य पूँजी के रूप में माना जाता है।

@ : प्रोद्भूत ब्याज शामिल है। 1997-2001 से अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय जमाराशियाँ शामिल नहीं हैं।

** : क्रेता का ऋण शामिल है। प्रत्यक्ष निवेशकर्ता और प्रत्यक्ष निवेश उद्यम के बीच ऋण-लेनेदन को अन्य पूँजी के रूप में माना जाता है।

@@ : अनिवासियों द्वारा बैंकों में इक्विटी निवेश एफडीआई के अंतर्गत शामिल।

संदर्भ : आरबीआई सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाएबिलिटीज एंड एसेट्स ऐज ऑन मार्च 1997; आरबीआई बुलेटिन (अक्टूबर 2000), (2000)

मुद्रा आरक्षित निधियों के संबंध में आँकड़ों का प्रकाशन करता रहा है। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के संबंध में आँकड़े इसके विविध प्रकाशनों में निर्धारित अंतरालों पर और/या इसके आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in पर देशी तथा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों तथा अनुसंधानकर्ताओं के उपयोग के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

5.6.1. भारत की अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियों की अवधारणाएँ

भारत की अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियों की अवधारणा आईएमएफ के भुगतान संतुलन मैनुअल, पाँचवाँ संस्करण, अध्याय XXI के अनुरूप है। ये आरक्षित निधियाँ घरेलू विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप के प्रयोजनार्थ सरकार को विदेशी मुद्रा चलनिधि प्रदान करने और घरेलू मुद्रा के समर्थन के लिए रखी जाती हैं।

आँकड़ों का वर्गीकरण और प्रस्तुतीकरण इन शीर्षों में किया जाता है।

5.6.2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की अवधारणा और परिभाषा

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ निम्नलिखित घटकों से बनती हैं :

- विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एफसीए)
- स्वर्ण
- विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)
- आईएमएफ में आरक्षित अंश स्थिति (आरटीपी)

भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, जो इसके तुलनपत्र में प्रतिबिंबित होता है, जबकि विशेष आहरण अधिकार और आईएमएफ में आरक्षित अंश स्थिति भारत सरकार की बहियों में प्रतिबिंबित होते हैं।

एसडीआर और आरटीपी, जो सरकार की बहियों में तो उल्लिखित होते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक (मौद्रिक अधिकारी) को उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में शामिल किये जाते हैं।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का अभिनियोजन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। मोटे तौर पर एफसीए में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं :

- विविध केंद्रीय बैंकों के पास रखे नोस्त्रो खातों में नकदी शेष
- निम्नलिखित के पास जमाराशियाँ
 - केंद्रीय बैंक
 - विदेशी वाणिज्य बैंक
 - अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
 - अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक
- खजाना बिल - सरकार
- प्रतिभूतियाँ और बांड (विदेशी प्रतिभूतियाँ) - सरकार और अधिराष्ट्र

विदेशी मुद्रा आस्तियाँ रिजर्व बैंक के तुलनपत्र में निम्नलिखित रूप में प्रतिबिंबित होती हैं :

- विदेशी प्रतिभूतियाँ (निर्गम विभाग का तुलनपत्र)
- विदेश में धारित जमाशेष
- निवेश

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों या आरक्षित आस्तियों की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि ये उन बाह्य आस्तियों से बनती हैं, जो मौद्रिक प्राधिकारी को भुगतान असंतुलनों का प्रत्यक्ष वित्तपोषण करने, मुद्रा विनिमय दर को प्रभावित कर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के जरिये ऐसे असंतुलनों को अप्रत्यक्ष रूप से नियमित करने के लिए और/या अन्य प्रयोजनों

के लिए आसानी से उपलब्ध होती हैं और उनके द्वारा नियंत्रित होती हैं। आरक्षित आस्तियों की कोटि, जैसाकि मैनुअल में परिभाषित है, में समाविष्ट होते हैं मौद्रिक स्वर्ण, आईएमएफ का विशेष आहरण अधिकार, आईएमएफ के पास आरटीपी, विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (जो मुद्रा एवं जमाराशियों और प्रतिभूतियों से बनती हैं), और अन्य दावे। जो प्रतिभूतियाँ आरक्षित आस्तियों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें प्रत्यक्ष निवेश और संविभाग निवेश में शामिल किया जाता है।

विदेशी मुद्रा या मुद्रा आस्तियों में शामिल होते हैं मौद्रिक अधिकारियों के अनिवासियों पर दावे, जो ईसीयू, करेंसी बैंक जमाराशियों, सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य बांडों एवं नोटों, मुद्रा बाजार लिखतों, वित्तीय डेरिवेटिवों, इक्विटी प्रतिभूतियों के रूप में होते हैं और गैर विपणनयोग्य दावे, जो केंद्रीय बैंकों या सरकारों के बीच की गयी व्यवस्था के कारण बनते हैं। (विदेशी मुद्रा में वे दावे शामिल होते हैं, जिन्हें आईएमएफ द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी में प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय चलनिधि शृंखला के लिए विदेशी मुद्रा घटक के रूप में दर्शाया जाता है)।

मौद्रिक स्वर्ण वह स्वर्ण होता है, जो प्राधिकारियों द्वारा (या उनके द्वारा, जिन पर प्राधिकारियों का कारगर नियंत्रण होता है) स्वाधिकृत होता है और आरक्षित आस्तियों के रूप में धारित होता है। अन्य स्वर्ण (गैर मौद्रिक स्वर्ण, संभवतः उन प्राधिकारियों द्वारा, जो मौद्रिक स्वर्ण पर स्वामित्व रखते हैं, व्यापारिक प्रयोजनों के लिए धारित वाणिज्यिक स्टॉक सहित), जिस पर किसी कंपनी का स्वामित्व होता है, को इस मैनुअल में किसी अन्य वस्तु के रूप में माना गया है। मौद्रिक स्वर्ण का लेनदेन केवल मौद्रिक प्राधिकारियों और अन्य अर्थव्यवस्थाओं में उनके प्रतिरूप के बीच या मौद्रिक प्राधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठनों के बीच किया जाता है। एसडीआर की तरह मौद्रिक स्वर्ण

आरक्षित आस्तियों होता है, जिसके लिए कोई बकाया वित्तीय देयता नहीं होती है।

आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) अंतरराष्ट्रीय आरक्षित आस्तियाँ होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अन्य आरक्षित आस्तियों के अनुपूरक के रूप में सृजित किये जाते हैं और जिन्हें आवधिक आधार पर आईएमएफ के सदस्यों को उनके अपने-अपने कोटा के अनुपात में आबंटित किया जाता है। एसडीआर को कोष की देयता नहीं माना जाता है, और आईएमएफ के जिन सदस्यों को एसडीआर आबंटित किये जाते हैं, उनका एसडीआर आबंटन की चुकौती करने की वास्तविक (शर्तहीन) देयता नहीं होती है। कोष प्रतिदिन एसडीआर के मूल्य को निर्धारित करता है, जिसके लिए मुद्राओं के भारित समूह के मूल्यों को - जो बाजार विनिमय दरों पर आधारित होते हैं - अमरीकी डालर में जोड़ा जाता है। मुद्रा समूह और भारांक में समय-समय पर संशोधन किये जाते हैं। एसडीआर का उपयोग अन्य सदस्यों की मुद्राओं (विदेशी मुद्रा) को अर्जित करने के लिए किया जा सकता है, ताकि वित्तीय दायित्वों का निपटारा किया जा सके और ऋण दिये जा सकें। मौद्रिक प्राधिकारियों के एसडीआर धारण में परिवर्तन निम्नलिखित के माध्यम से हो सकते हैं : (i) कोष या कोष के एसडीआर विभाग के अन्य प्रतिभागियों या अन्य धारकों को एसडीआर के भुगतान या एसडीआर की प्राप्ति में शामिल लेनदेन, अथवा (ii) आबंटन या निरसन। जिन लेनदेनों को (i) में गिनाया गया है, उन्हें भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है; आबंटन या निरसन को भुगतान संतुलन में दर्ज नहीं किया जाता है, लेकिन वे अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति में प्रतिबिंबित होते हैं।

आईएमएफ सदस्य की आरक्षित अंश स्थिति की परिभाषा सदस्य की आईएमएफ के सामान्य संसाधन लेखा में स्थिति के रूप में दी जाती है, जिसे आरक्षित आस्तियों की कोटि के अंतर्गत रिकार्ड किया जाता

है। सदस्य की आरक्षित स्थिति उन आरक्षित अंश क्रयों की रकम होती है, जिसे सदस्य आहरित कर सकता है और कोष की कोई ऋणग्रस्तता (किसी ऋण करार के अंतर्गत) होती है, जो सदस्य को आसानी से प्रतिदेय हो। आरक्षित अंश क्रय कोष से अन्य मुद्राओं के किये गये क्रय होते हैं, जो किसी सदस्य की मुद्रा के कोष धारणों को उनके कोटा से अधिक होने का (घटाव वे धारण, जो सदस्य के निधि ऋण उपयोग को प्रतिबिंबित करते हैं) कारण नहीं बनते। कोष से किये गये किसी क्रय को विदेशी मुद्रा धारणों में वृद्धि और कोष में सदस्य की आरक्षित स्थिति में हास के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है; पुनर्क्रय को क्रमशः हास और वृद्धि के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। आरक्षित अंश में क्रयों को कोष ऋण के उपयोग के रूप में नहीं माना जाता, वे किसी प्रभार के अधीन नहीं होते हैं और उनके लिए पुनर्क्रय की जरूरत नहीं होती है। आरटीपी, जिसे 23 मई 2003 से जापान मद के रूप में दिखाया जाता है, को आरक्षित निधियों में 2 अप्रैल 2004 के सप्ताहांत से शामिल किया जाता है।

5.6.3. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का विशेष आँकड़ा प्रसार मानक (एसडीडीएस) - अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियाँ और विदेशी मुद्रा चलनिधि आँकड़ा टेम्प्लेट

एसडीडीएस की स्थापना 1996 में उन देशों का मार्गदर्शन करने के लिए की गयी थी, जो जनता¹ में आर्थिक एवं वित्तीय आँकड़ों का प्रसार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाजार में पहुँच रखते हैं या पहुँचना चाहते हैं। यह साइट उन सदस्य देशों द्वारा, जो एसडीडीएस में अभिदान करते हैं, प्रसारित आर्थिक एवं वित्तीय आँकड़ों के बारे में जानकारी देता है।¹

रिजर्व बैंक ने 27 दिसंबर 1996 से एसडीडीएस में अभिदान करना आरंभ किया। डीएसबीबी - डिसेमिनेशन

¹ <http://dsbb.imf.org/Applications/web/sddshome>

स्टैंडर्ड्स बुलेटिन बोर्ड - पर मेटाडाटा 30 अक्टूबर 1997 को दर्ज किया गया। रिजर्व बैंक ने मेटाडाटा में पूरी तरह 14 दिसंबर 2001 को अभिदान किया गया। आईएमएफ की अपेक्षा है कि पब्लिक डोमेन में डाटा नियमित अंतरालों पर उपलब्ध होना चाहिए। रिजर्व बैंक इस डाटा का प्रकाशन अपने प्रकाशनों में करता है। रिजर्व बैंक अपने वेबसाइट पर भी एसडीडीएस अपेक्षाओं के अनुसार इन डाटा कोटियों के लिए रिलीज कैलेंडरों का अग्रिम डिसेमिनेशन प्रकाशित करता है।

5.6.3.1. व्याप्ति लक्षण

आरक्षित निधियों से संबंधित दो प्रकाशन हैं, अर्थात्, डब्ल्यूएसएस के तहत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और दि डाटा टेम्प्लेट ऑन इंटरनेशनल रिजर्व्स एंड फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी एसडीडीएस के तहत। डब्ल्यूएसएस के अंतर्गत विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (जिनमें आरबीआई द्वारा धारित विदेशी मुद्रा आस्तियाँ और स्वर्ण तथा आईएमएफ के पास एसडीआर और आरटीपी समाविष्ट हैं) के संबंध में आँकड़ों का प्रसार अमरीकी डालर (मिलियन) में और भारतीय रुपयों (करोड़, जहाँ एक करोड़ = 10 मिलियन) में किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियों और विदेशी मुद्रा चलनिधि के संबंध में डाटा टेम्प्लेट के अंतर्गत केवल अमरीकी डालर (मिलियन) में किया जाता है।

5.6.3.2. आवधिकता

आँकड़े विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के लिए साप्ताहिक आधार पर जारी किये जाते हैं (सप्ताहांत में) तथा अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियों तथा विदेशी मुद्रा चलनिधि के संबंध में डाटा टेम्प्लेट के लिए मासिक आधार पर (मास के अंत में) जारी किये जाते हैं।

5.6.3.3. समयनिष्ठता

आँकड़े विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के लिए संदर्भ सप्ताहांत के एक सप्ताह के बाद और अंतरराष्ट्रीय

आरक्षित निधियों एवं विदेशी मुद्रा चलनिधि के संबंध में डाटा टेम्प्लेट के लिए संदर्भ मासान्त के एक महीने बाद जारी किये जाते हैं।

5.6.4. आँकड़ों की अखंडता और गुणवत्ता

आधिकारिक सांख्यिकी के प्रसार की शर्तों में वे शर्तें शामिल हैं, जो अलग-अलग अभिज्ञेय जानकारी की गोपनीयता से संबंध रखती हैं। आँकड़ों का संकलन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(1) के अनुसार किया जाता है, जिसमें यह अपेक्षा की गयी है कि आरबीआई निर्गम विभाग और बैंकिंग विभाग का साप्ताहिक लेखा विवरण केंद्र सरकार के पास प्रस्तुत करे। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया है और सरकारी प्रकाशन बेचने वाले पुस्तक भंडारों, प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइंस, दिल्ली - 110006, भारत से मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियों के संबंध में आँकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनता की सेवा के रूप में प्रसारित किये जाते हैं।

आँकड़ों का संकलन आईएमएफ के 'भुगतान संतुलन मैनुअल' के 5वें संस्करण के अनुसार किया जाता है। संकलन के लिए प्रयोग की गयी पद्धति मासिक 'भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन' की पादटिप्पणियों में बतायी गयी है और इंटरनेशनल रिजर्व्स एंड फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी के डाटा टेम्प्लेट में बतायी गयी है।

5.6.5. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों या आस्तियों का प्रसार

देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों से संबंधित सांख्यिकी का प्रसार रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित प्रकाशनों और आवृत्ति में किया जाता है।

- साप्ताहिक अंतरालों पर (सारणी 2 में) वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट (डब्ल्यूएसएस) में एक सप्ताह के समयांतर पर प्रत्येक सप्ताहांत में।

आँकड़े भारतीय रुपयों में और अमरीकी डालर में प्रस्तुत किये जाते हैं। आँकड़ों में पिछले सप्ताह, पिछले दिसंबर और पिछले वित्तीय वर्ष के अंत की तुलना में आरक्षित आस्तियों (घटकवार) में घट-बढ़ शामिल की जाती है।

- मासिक अंतरालों पर (सारणी सं.44 में) भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन में; आँकड़ों में आरक्षित आस्तियों (घटकवार) के वर्तमान और ठीक पहले के दो वित्तीय वर्षों के लिए माहवार स्थिति को शामिल किया जाता है। कार्य-टिप्पणियाँ बुलेटिन के 'सारणियों के संबंध में टिप्पणियाँ' के अंतर्गत इंगित होती हैं।
- विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के संबंध में साप्ताहिक, मासिक, तिमाही और वार्षिक आँकड़े भी हैडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकॉनामी (सारणी 154; सारणी 197 और सारणी 201) में प्रकाशित किये जाते हैं। पहले इन आँकड़ों को मुद्रा और वित्त के संबंध में रिपोर्ट, खंड II में चालू और पिछले वर्षों के लिए प्रकाशन के संदर्भाधीन शामिल किया जाता था।
- भारतीय रिजर्व बैंक की 'वार्षिक रिपोर्ट' में पिछले तीन वर्षों के लिए समय शृंखला आँकड़े: विदेशी मुद्रा आस्तियों, स्वर्ण, एसडीआर तथा आईएमएफ के पास आरटीपी के संबंध में प्रकाशित किए जाते हैं।

5.7. भारतीय रुपये की नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (नीर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर)

नीर और रीर के सूचकांकों को अक्सर बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता के संकेतकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन सूचकांकों को क्रयशक्ति समता सिद्धांत से निकाला जाता है। नीर अपने देश की मुद्रा की विदेशी मुद्रा में द्विपक्षीय नाममात्र विनिमय दरों का भारित औसत

होता है। रीर भारत और उसके व्यापारिक भागीदार के बीच स्फीतिकारी विभेद के लिए समायोजित नीर का भारत और सत होता है। सामान्यतः किसी देश को प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की तुलना में घरेलू अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों, जैसेकि स्फीतिकारी विभेद और अन्य विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के प्रति अपनी विनिमय दर (नियत विनिमय दर के मामले में) समायोजित करना पड़ता है या विनिमय दर स्वयं अपना समायोजन कर लेती है (नमनीय विनिमय दर के मामले में)।

भारतीय रुपये की नाममात्र और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (नीर और रीर) में उतार-चढ़ाव के संबंध में काफी चर्चा हो चुकी है। हाल के वर्षों में इस मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक का यह स्वीकृत रुख रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय दर में अल्पावधि उतार-चढ़ाव के प्रबंधन में रीर को एक कारगर साधन नहीं मानता है। चूँकि आधार वर्ष, भारांक और कीमतों को चुनने के संबंध में कुछ मनमानापन है, अतः रीर का प्रयोग किसी खास समय में विनिमय दरों के स्तरों की तुलना में किसी अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव का पता करने के लिए किया जा सकता है।

रीर में उतार-चढ़ाव कई प्रकार से प्रभावित होते हैं, जिनमें पूँजी प्रवाह शामिल हैं, और रीर का अनुमान लगाया जाना अनेक पद्धतिमूलक मुद्दे उठाता है, उदाहरणार्थ, मुद्रा समूह का चयन, आधार वर्ष का चयन, भारांक और मूल्य सूचकांक का चयन। फिर भी, अंततोगत्वा यह सूचकांक विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और स्फीतिकारक विभेदकों की तुलना में रुपये की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी हो सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक अपनी संचार नीति के भाग के रूप में और अनुसंधानकर्ताओं एवं विश्लेषकों की सहायता के लिए नीर और रीर का पाँच देशीय और छत्तीस देशीय सूचकांक निर्मित करता रहा है। पाँच

देशीय (अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यू.के.) नीर और रीर, जो त्वरित सूचकांक होता है, भारतीय रिजर्व बैंक (बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआइओ) द्वारा जुलाई 1998 में जारी किया गया था और प्रत्येक माह भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता था। इसके अतिरिक्त 5-देशीय नीर और रीर रुपये की विनिमय दर में नाममात्र और वास्तविक उतार-चढ़ाव पर निकट निगरानी रखने के लिए दैनिक आधार पर निर्मित किये जाते थे। भारत के परिवर्तनशील व्यापार पैटर्न, जिसने 5-देशीय नीर/रीर के मामले में नियत व्यापार भारांक को कालदोषी बना दिया और समस्त यूरो क्षेत्र के लिए 1 जनवरी 2002 से एकल यूरो नोट और सिक्कों को लागू किये जाने से मौजूदा राष्ट्रीय मुद्राओं को प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिनमें से कुछ भारतीय रिजर्व बैंक के नीर/रीर के मौजूदा सूचकांक के भाग होते थे, के लिए यह आवश्यक हो गया कि मुद्राओं के संशोधित सेट और नये भारांकों के साथ नीर/रीर की नयी शृंखला की गणना की संभावना का पता लगाया जाये। दिसंबर 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नीर/रीर के अपने मौजूदा 5-देशीय सूचकांकों को नए छह मुद्रा सूचकांकों से प्रतिस्थापित किया। इसने नीर/रीर के अपने छत्तीस देशीय सूचकांकों को भी संशोधित किया और उनके स्थान पर नये छत्तीस मुद्रा सूचकांकों को आरंभ किया।

नये छह मुद्रा सूचकांकों में यूएसए, यूरो क्षेत्र, यूके, जापान, चीन और हांगकांग एसएआर शामिल हैं। नये सूचकांकों में दो नयी मुद्राएँ हैं - दोनों ही एशियाई - चीनी रेन्मिन्बी और हांगकांग डालर। वर्तमान 5-देशीय शृंखला में दो मुद्राएँ, यथा, फ्रेंच फ्रैंक और ड्यूश मार्क को नये सूचकांकों में यूरो से प्रतिस्थापित किया गया है। चीन और हांगकांग एसएआर भारत के महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार बन गये हैं और ये दोनों मिलकर 2004-05 में भारत के विदेश व्यापार के लगभग 9 प्रतिशत के लिए जवाबदेह थे। छह देश/क्षेत्र, जिनका प्रतिनिधित्व छह मुद्राएँ करती हैं, एक साथ मिलकर 2004-05 में

भारत के कुल विदेश व्यापार के लगभग 40 प्रतिशत के लिए जवाबदेह थे, जबकि मौजूदा 5-देशीय सूचकांक के मामले में वे भारत के कुल विदेश व्यापार के लगभग 22 प्रतिशत हिस्से के लिए जवाबदेह थे। भारत के विदेश व्यापार में चीन का हिस्सा, जो 1991-92 में नगण्य 0.19 प्रतिशत था, वह 2004-05 में बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि विशेषतः पिछले 4 वर्षों के दौरान हुई है। आने वाले वर्षों में चीन भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरकर आने वाला है और वह भारत का बड़ा प्रतिद्वन्दी भी बनेगा। इस प्रकार चीन को सम्मिलित किया जाना सीमित रूप में तीसरे पक्ष देश की प्रतिद्वन्द्विता का ध्यान रखता है। चीनी रेन्मिन्बी (आरएमबी) भविष्य में महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि चीन ने अपने विनिमय दरों को लचीला बनाने के लिए पहले ही 21 जुलाई 2005 को कुछ कदम उठाये हैं। इस प्रकार चीन को नीर/रीर के नये 6-मुद्रा सूचकांकों में शामिल किया जाना सार्थक लगता है। नये सूचकांकों में हांगकांग को शामिल किया जाना मुख्य भूमि चीन से व्यापार पर ध्यान रखता है, जो हांगकांग होकर किया जाता है। चीन और हांगकांग एसएआर के समावेशन से मौजूदा 5-देशीय सूचकांकों में शामिल देशों के साथ भारत के कुल व्यापार के ह्रासमान हिस्से की समस्या का भी ध्यान रखा जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र गति से शेष एशिया के साथ बढ़ते एकीकरण को भी प्रतिबिंबित किया जाता है।

5.7.1. कार्यप्रणाली संबंधी टिप्पणी

5.7.1.1. परिभाषा

छह मुद्रा व्यापार आधारित नीर और रीर दैनिक और मासिक आधार पर निर्मित किये जाते हैं। चुनी गयी मुद्राएँ हैं अमरीकी डालर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन, चीनी रेन्मिन्बी और हांगकांग डालर।

नीर : नीर अपने देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा में द्विपक्षीय नाममात्र विनिमय दर का भारित ज्यामितिक औसत होता है। सूत्र के रूप में,

$$NEER = \prod_{i=1}^6 (e/e_i)^{w_i}$$

रीर : रीर नीर का भारित औसत होता है, जो विदेशी मुद्रा स्फीति दर में घरेलू मुद्रा स्फीति दर के अनुपात द्वारा समायोजित होता है। सूत्र के रूप में

$$REER = \prod_{i=1}^6 [(e/e_i) (P/P_i)]^{w_i}$$

जहाँ e : एक मूल्यमान (एसडीआर) पर रुपये की विनिमय दर (अर्थात्, एसडीआर प्रति रुपया)

(सूचकांक रूप में)

e_i : करेंसी i की विनिमय दर मूल्यमान (एसडीआर) पर (अर्थात् एसडीआर प्रति करेंसी i)

(i = अमरीकी डालर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन, चीनी रेन्मिन्बी और हांगकांग डालर)

w_i : सूचकांक में मुद्रा/देश i से संबद्ध भारांक

P : भारत का थोक मूल्य सूचकांक (सूचकांक रूप में)

P_i : देश i का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सूचकांक रूप में)

5.7.1.2. भारांक योजना

मौजूदा पाँच देशीय सूचकांकों में नियत व्यापार भारांकों का प्रयोग किया जाता है, जो 1992-93 से 1996-97 तक की 5 वर्षों की अवधि के दौरान सूचकांक में शामिल देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार (निर्यात और आयात) के औसत पर आधारित हैं। नये सूचकांकों में वर्तमान नियत व्यापार भारांकों के स्थान

पर 3-वर्षीय संचल औसत व्यापार भारांकों का प्रयोग किया जायेगा, ताकि भारत के अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ विदेश व्यापार का परिवर्तनशील पैटर्न प्रतिबिंबित हो सके।

भारांकों का निर्माण उन देशों/क्षेत्रों के साथ, जिनका प्रतिनिधित्व छह मुद्राएँ करती हैं, भारत के तीन वर्षों के दौरान किये गये द्विपक्षीय व्यापार (निर्यात और आयात) के ज्यामितिक औसत के आधार पर निर्मित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष उन्हें अद्यतन किया जाता है। इस प्रकार पूर्व में नियत भारांक रखे जाने की प्रभा के विपरीत, नये भारांकों का सेट प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न होगा। तीन वर्षों, उदाहरणार्थ, 2002-03 से 2004-05 तक, के लिए औसत कुल व्यापार में प्रत्येक देश का औसत हिस्सा सामान्यीकृत किया जाता है ताकि अपेक्षित भारांक (डब्ल्यूआइ) का पता चले। नये छह मुद्रा शृंखला की गणना में प्रयुक्त भारांक निम्नानुसार हैं (सारणी 5.3) :

सारणी 5.3 : छह मुद्रा शृंखला के लिए भारांक पैटर्न

(प्रतिशत में)						
वर्ष	यूरो	जापान	यूके	यूएसए	हांगकांग	चीन
1993-94	42.06	14.01	12.04	26.33	4.55	1.01
1994-95	40.25	13.50	11.73	26.95	5.40	2.17
1995-96	39.22	13.44	11.33	26.95	6.07	2.98
1996-97	38.95	12.87	11.25	27.29	6.15	3.49
1997-98	39.28	11.76	11.55	27.46	6.03	4.20
1998-99	38.71	11.03	11.82	28.21	6.03	4.20
1999-00	37.79	10.64	11.86	28.59	6.68	4.44
2000-01	36.67	9.92	12.15	29.12	7.48	4.65
2001-02	35.88	9.30	12.06	29.08	8.02	5.67
2002-03	35.55	8.31	11.67	29.51	7.67	7.29
2003-04	35.52	7.85	10.84	28.90	7.55	9.34
2004-05	35.12	7.15	10.13	28.19	7.45	11.96

5.7.2. स्रोत और क्रियाविधि

विनिमय दर के संबंध में आँकड़ों के लिए पाँच मुद्राओं, यथा, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन, हांगकांग डालर और चीनी रेन्मिन्बी, की दैनिक प्रातःकालीन पूर्वी बाजार विनिमय दरों को एसडीआर-यूएसडी दर से प्रतिरेखांकित किया जाता है। अमरीकी डालर के लिए एसडीआर-यूएसडी दर पर विचार किया जाता है। भारतीय रुपये के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक की अमरीकी डालर की संदर्भ दर, जो 12.00 बजे दोपहर को घोषित की जाती है, उसे एसडीआर-यूएसडी दर के साथ प्रतिरेखांकित किया जाता है, ताकि एसडीआर-रुपया दर का पता चले। साप्ताहिक सभी पण्य थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) का उपयोग भारत के लिए रीर में मुद्रास्फीति के सूचकांक के रूप में किया जाता है। डब्ल्यूपीआइ आँकड़ों को प्रत्येक सप्ताह अद्यतन किया जाता है। ये आँकड़े 2 सप्ताह के समयांतर के साथ उपलब्ध होते हैं। उन 6 देशों/क्षेत्रों के लिए, जिनका प्रतिनिधित्व 6 करेंसियाँ करती हैं, मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) का प्रयोग इन देशों में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है। यूरो के मामले में, उपभोक्ता मूल्य सामंजस्य सूचकांक (एचआइसीपी) का प्रयोग किया गया। चीन मुद्रास्फीति सूचकांक मुहैया नहीं कराता, लेकिन वर्ष-दर-वर्ष मासिक वृद्धि दर उपलब्ध कराता है, जिन्हें 1993-94 को आधार वर्ष मानते हुए सूचकांकों में बदल दिया गया है। इन देशों/क्षेत्रों के सीपीआइ आँकड़े ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन प्रणाली से, यथा ब्लूमबर्ग से, लिये जाते हैं, जैसे ही उनके द्वारा इनकी घोषणा की जाती है। बाद में, इन सीपीआइ आँकड़ों को, जहाँ भी संभव हो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी (आइएफएस) में उपलब्ध मूल्य सूचकांकों द्वारा, जो एक समयांतर पर प्राप्त होता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है।

विनिमय दरों को अप्रत्यक्ष भावों में परिभाषित किया गया है, ताकि रुपये की मूल्यवृद्धि/मूल्यहास सूचकांक मूल्य वृद्धि/हास द्वारा सीधे प्रतिबिंबित हो सके।

इस प्रकार, सूचकांक में वृद्धि छह मुद्राओं के सापेक्ष रुपये की मूल्यवृद्धि का द्योतक होती है और सूचकांक में गिरावट इन मुद्राओं के सापेक्ष रुपये के मूल्य में हास का द्योतक होती है। पाँच देशीय सूचकांकों के मामले में तीन आधार वर्षों को रखे जाने, यथा, 1991-92, 1993-94 तथा 2003-04 (वित्तीय वर्ष, जो मासिक औसत पर आधारित हैं), जिसमें से अंतिम एक सचल आधार होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है, ताकि और अधिक हाल की अवधि के साथ उसकी तुलना में सुविधा हो, की प्रथा की तुलना में नये छह मुद्रा सूचकांकों के लिए 1993-94 नियत आधार के रूप में होगा और 2003-04 सचल आधार के रूप में होगा, जो प्रत्येक वर्ष बदलेगा, जैसाकि इस समय होता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि सूचकांक ज्यामितिक श्रेणी में होते हैं, किसी दो अवधि के बीच प्रतिशत अंतर ऐसी श्रेणी में एक समान होगा, भले ही आधार वर्ष कोई भी हो।

आधार वर्ष 1993-94 अनेक वर्षों तक अचल रहेगा, जबकि आधार वर्ष 2003-04 सचल होगा (अर्थात् 1 अप्रैल 2006 से 2003-04 का आधार 2004-05 में और इसी प्रकार बदल जायेगा)। सूचकांक 1993-94 से वित्तीय वर्ष के आधार पर (औसत) दिये जाते हैं।

अधिकांश देशों के प्राधिकारियों द्वारा और अनेक वैश्विक वित्तीय संस्थाओं/निवेश बैंकों/बहुपक्षीय संस्थाओं, यथा आईएमएफ, द्वारा भी अपनी-अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं के रीर और नीर की गणना विविध मुद्राओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को मापने के लिए और भविष्य में उनके संभावित उतार-चढ़ाव के लिए की जा रही है। अनेक देश आईएमएफ को नीर और रीर की रिपोर्ट करते हैं। ये आँकड़े अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी (आइएफएस) में प्रकाशित किये जाते हैं, जो एक मासिक प्रकाशन है। आँकड़ों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए आईएमएफ कुछ उन्नत देशों के लिए

भी रीर का प्रकाशन करता है, जो उपभोक्ता मूल्य पर आधारित रीर के अलावा अन्य लागत संकेतकों, यथा, इकाई श्रमिक लागत और सापेक्ष मूल्यवर्धित अपस्फीतिकारकों, विनिर्माण में सापेक्ष निर्यात इकाई मूल्य और सापेक्ष थोक कीमतों पर आधारित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6-मुद्रा रीर और नीर की गणना किये जाने की पद्धति शीर्ष बहुपक्षीय संस्थाओं, यथा, आईएमएफ और अन्य देशों/संस्थाओं द्वारा इस संबंध में अपनाये गये सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप है।

भारतीय रुपये का छह-मुद्रा नीर और रीर सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन में सारणी 51 के अंतर्गत प्रकाशित किये जाते हैं।

5.8. विदेशी मुद्रा बाजार में कुल कारोबार के संबंध में सांख्यिकी

5.8.1. आँकड़ों का स्रोत

विदेशी मुद्रा कुल कारोबार के आँकड़े बाजार कार्यकलाप का माप होते हैं और ये बाजार में चलनिधि के बारे में स्थूल चित्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार के आकार को मापने के लिए विदेशी मुद्रा कुल कारोबार के आँकड़े भारत में प्राधिकृत व्यापारियों से संगृहीत किये जाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग एक वाइड एरिया नेटवर्क 'फेमिस' के माध्यम से प्रतिदिन विदेशी मुद्रा लेनदेनों के संबंध में आँकड़ों का संग्रहण करता है। सभी प्राधिकृत व्यापारियों से अपेक्षित होता है कि वे एक फाइल भेजें, जिसमें वणिक (हाजिर, वायदा और वायदा निरसन) तथा अंतर-बैंक (हाजिर, स्वैप एवं वायदा) क्रय-विक्रय के आँकड़े दिये गये हों। इस प्रकार संगृहीत आँकड़ों को तब प्रेस संपर्क प्रभाग को भेजा जाता है, ताकि वह वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर इनका प्रसार करे।

5.8.2. विदेशी मुद्रा लेनदेनों से संबंधित पदों की परिभाषा

वणिक : जहाँ संविदा में शामिल एक पार्टी कोई बैंक (एडी) नहीं होती।

अंतर-बैंक : जहाँ संविदा में शामिल दोनों पार्टियाँ बैंक होती हैं (इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेनदेन शामिल है)।

हाजिर लेनदेन : एकल एकमुश्त लेनदेन, जिसमें दो मुद्राओं का विनिमय संविदा की तिथि को सहमत दर पर दो कारोबारी दिवस के भीतर मूल्य या सुपुर्दगी के लिए किया जाना शामिल हो, और इसमें कैश (उसी दिन सुपुर्दगी) और टॉम (अगले दिन सुपुर्दगी) लेनदेन शामिल होता है।

एकमुश्त वायदा : ऐसा लेनदेन, जिसमें दो मुद्राओं का विनिमय संविदा की तिथि को सहमत दर पर भविष्य में किसी समय (दो कारोबार दिवस से अधिक के बाद) मूल्य या सुपुर्दगी के लिए किया जाना शामिल होता है।

वायदा निरसन : क्रय पक्ष में वायदा वणिक विक्रय संविदाएँ निरस्त की जाती हैं और विक्रय पक्ष में निरस्त वायदा क्रय संविदाओं को इंगित किया जाता है।

स्वैप : ऐसा लेनदेन होता है, जिसमें दो मुद्राओं (केवल मूलधन) का वास्तविक विनिमय किसी विनिर्दिष्ट तिथि को संविदा की समाप्ति के समय सहमत दर पर और उन्हीं दोनों मुद्राओं का विलोम विनिमय भविष्य में किसी आगे की तिथि को संविदा के समय सहमत दर पर किया जाना शामिल होता है। केवल एडी के बीच विदेशी मुद्रा स्वैप की रिपोर्ट की जाती है। दोहरी गिनती का विलोपन नहीं होता।

एडी द्वारा डॉयल-अप मोड के माध्यम से भेजे गये आँकड़ों को फेमिस प्रणाली में मिला दिया जाता है और रिपोर्टें ऑनलाइन तैयार की जाती हैं।

हाजिर दर : लेनदेन के लिए उद्धृत विनिमय दर, जिसमें तुरंत निपटान शामिल होता है। यह सामान्यतः मुद्रा के लिए वर्तमान बाजार दर को विनिर्दिष्ट करता है। इस दर पर ब्याज को या तो जोड़ा जाता है (प्रीमियम) या घटाया जाता है (बट्टा), ताकि गैर-हाजिर लेनदेनों के लिए मूल्य निर्धारण किया जा सके, जिन्हें विदेशी मुद्रा बाजार में वायदा के रूप में उल्लिखित किया जाता है।

वायदा प्रीमियम : वायदा प्रीमियम संबंधित वायदा दर (अर्थात् वह दर, जिस पर विदेशी मुद्रा संविदा भविष्य में किसी विनिर्दिष्ट तारीख को निपटान करने के लिए आज तय की जाती है) और हाजिर दर के बीच का अंतर होता है। यह इस अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा की आपूर्ति और मांग को इंगित करता है। यह “ब्याज विभेदकों की प्रत्याशा” को भी इंगित करता है।

वायदा दर करार (एफआरए): ऐसी संविदा, जो किसी बतायी हुई ब्याज दर पर बतायी गयी अवधि में, जो भविष्य में कभी आरंभ होगी, उधार लेने या उधार देने के लिए की जाती है। जो पार्टियाँ भविष्य में ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से अपनी रक्षा करना चाहती हैं, वे एफआरए का प्रयोग करती हैं।

5.9. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद-बिक्री के संबंध में सांख्यिकी

वर्षों से रुपये की विनिमय दर का विकास नियत दर से उस दर की ओर होता रहा है, जो मांग और पूर्ति के लिए बाजार द्वारा निश्चित की जाती है। 1975-92 की अवधि के दौरान रुपये की विनिमय दर आधिकारिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत के बड़े व्यापारिक भागीदारों के भारत मुद्रा समूह के अनुसार निश्चित की जाती थी और विनिमय दर प्रणाली का लक्षण यह रहता था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी क्रय और विक्रय दरों की घोषणा प्रतिदिन प्राधिकृत

व्यापारियों के लिए की जाती थी। भुगतान संतुलन के संबंध में रंगराजन समिति की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली (लमर्स), जिसमें रुपये के लिए द्वैध विनिमय दर शामिल थी, मार्च 2002 में संस्थित की गयी। लमर्स के अंतर्गत चालू खाता लेनदेन से प्राप्त विदेशी मुद्रा का 40 प्रतिशत आधिकारिक रूप से पूर्वघोषित विनिमय दर पर एडी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को अभ्यर्पित किया जाना था। शेष 60 प्रतिशत के विक्रय के लिए विनिमय दर बाजार द्वारा निश्चित किया जा सकता था। लमर्स का उपयोग संक्रमणकालीन तंत्र के रूप में किया जाना था, ताकि एक नियंत्रित प्रणाली से बाजार आधारित प्रणाली की ओर जाया जा सके। बाजार नियंत्रित विनिमय दर प्रणाली मार्च 1993 में आरंभ हुई, जिसमें रुपये की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति के संबंध में बाजार की ताकतों द्वारा निश्चित की जाती थी।

5.9.1. विनिमय दर प्रबंधन के उद्देश्य

भारतीय रिजर्व बैंक की विनिमय दर नीति को समय-समय पर मौद्रिक नीति वक्तव्यों, वार्षिक प्रकाशनों और विषय पर बैंक के शीर्ष प्रबंधन के विविध भाषणों में भी स्पष्ट किया जाता रहा है। इसका उद्देश्य रहा है बाजार में सुव्यवस्था बनाये रखना, प्रणाली में किसी अस्थायी असंतुलन को ठीक करना और अत्यधिक अस्थिरता या सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना। अस्थिरता के समय भारतीय रिजर्व बैंक प्रेस प्रकाशनी जारी करते हुए बाजार के उतार-चढ़ाव का अपना मूल्यांकन लोगों के सामने रखता है, बाजार में व्यवस्था बनाये रखने की अपनी प्रतिबद्धता दुहराता है और नीति संबंधी उपायों, यदि हों, की घोषणा बाजार में स्थिरता लाने के लिए करता है। क्रय/विक्रय संबंधी परिचालनों के आँकड़े पब्लिक डोमेन में एक महीने के समयांतर पर रखे जाते हैं (सारणी सं.48 - भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन)।

5.9.2. भारतीय रिजर्व बैंक का मध्यवर्ती परिचालन

विदेशी मुद्रा मध्यवर्ती परिचालन की परिभाषा ऐसे लेनदेन के रूप में दी जा सकती है, जो सरकार के आधिकारिक एजेंट द्वारा विनिमय दर के मूल्य को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। सरल रूप में कहा जाये, तो इसे विदेशी मुद्रा बाजार में घरेलू आस्तियों पर विदेशी आस्तियों की आधिकारिक खरीद या बिक्री के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 40 के अनुसार रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा खरीद सकता है या किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति को बेच सकता है। अमरीकी डालर के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के पास मध्यवर्ती मुद्रा के रूप में यूरो का प्रयोग करने का विकल्प होता है। सामान्यतः मध्यवर्ती परिचालन को रुपये के बाह्य मूल्य को विनियमित करने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तथापि, मध्यवर्ती परिचालन का उपयोग चलनिधि पर इसके प्रभाव के चलते मौद्रिक नीति के साधन के रूप में भी किया जा सकता है। जब केंद्रीय बैंक बाजार से विदेशी मुद्रा खरीदता है, तब यह प्रणाली में रुपया निधियों की समतुल्य राशि डालता है (चलनिधि का अंतःक्षेप); इसके विपरीत स्थिति तब होती है, जब यह घरेलू बाजार में विदेशी मुद्रा बेचता है। वर्षों से भारतीय रिजर्व बैंक ने हाजिर, वायदा और स्वैप बाजारों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मध्यवर्ती परिचालन किया है।

- प्रत्यक्ष मध्यवर्ती परिचालन - बैंकों से सीधे संपर्क किया जाता है और उन्हें दुतरफा कीमत उद्धृत करने के लिए कहा जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक उद्धृत दरों पर खरीद या बिक्री करता है। 1995-96 में अधिकांश लेनदेन प्राधिकृत व्यापारियों के साथ सीधे किये गये थे।
- परोक्ष मध्यवर्ती परिचालन - भारतीय रिजर्व बैंक परोक्ष रूप से चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के माध्यम

से मध्यवर्ती परिचालन करता है। बदले में ये बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से बाजार में खरीद या बिक्री करते हैं। 1997-98 से परोक्ष मध्यवर्ती परिचालन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने का मुख्य तरीका हो गया है।

मध्यवर्ती परिचालन सामान्यतः हाजिर बाजार में किये जाते हैं। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक वायदा और स्वैप बाजारों में वायदा प्रीमियम में विकृति को सुधारने, बाजार में नकद डालर की कमी को दूर करने, वायदा विदेशी मुद्रा आस्तियों का सृजन करने (बड़े एकबारगी शोधन, यथा आरआईबी को पूरा करने के लिए), आदि जैसे प्रयोजनों के लिए भी परिचालन करता है।

5.9.3. दैनिक विदेशी मुद्रा संदर्भ दरों के संबंध में सांख्यिकी

1 मार्च 1993 से विनिमय दरों के एकीकरण के बाद रुपये की बाजार निर्धारित मुक्त अस्थायी विनिमय दर प्रणाली, जो मांग और पूर्ति पर आधारित थी, आरंभ हुई। तदनुसार, रिज़र्व बैंक अमरीकी डालर और यूरो के लिए प्रतिदिन 12.00 बजे दोपहर को रुपया संदर्भ दर की घोषणा करता है। यह एक संकेतात्मक दर होती है, जो मुम्बई में कुछ चुनिंदा बैंकों से प्राप्त 12.00 बजे दोपहर को उद्धृत दरों की मध्य दरों का औसत

होती है। संदर्भ दर प्रतिदिन एक प्रेस प्रकाशनी में जारी की जाती है और भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखी जाती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन (सारणी सं.47) में भी प्रकाशित की जाती है।

संदर्भ :

1. बीपीएम5 (1993) : भुगतान संतुलन मैनुअल (पाँचवाँ संस्करण), 1993, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)।
2. भुगतान संतुलन संकलन निर्देशिका, 1996, आईएमएफ।
3. भुगतान संतुलन पाठ्य पुस्तक, 1996, आईएमएफ।
4. अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति, ए गाइड टू डाटा सोर्सिज, 2002।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक (1951) : रिपोर्ट ऑन दि सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाइएबिलिटीज एंड ऐसेट्स ऐज ऑन 30 जून 1948; भारतीय रिज़र्व बैंक, 1951।
6. भारतीय रिज़र्व बैंक (2000) : सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाइएबिलिटीज एंड ऐसेट्स ऐज ऑन मार्च 1997, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, अक्टूबर।